पत्रिका संख्या - 251

उत्तर प्रदेश के आय व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

1993 - 94

-542
352.1252
UTT-U

अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषय-सूची

भाग–1–आर्थिक वर्गीकरण

अध्याय	पृष्ठ संख्या
1––भूमिका	1–2
2––लेखा विवरण	3–12
3––सामंजस्य	13–16
4––कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष	17–22
5––लेखाओं पर टिप्पणी	23–26

भाग–2–कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

6––(1) आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	27
(2) कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण के सिद्धान्त	27
(3) सारणियां	27–38
7––कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी––	39–40
परिशिष्ट––1 (अ) कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय	41
1 (ब) कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय का प्रतिशत वितरण	42

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No .....
Date .....

भाग—1

आर्थिक वर्गीकरण

अध्याय–1

भूमिका

1.1––आय-व्ययक राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय अभिलेख है, जिसमें सरकार के विभिन्न स्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इसमें प्रदेश सरकार के समस्त वित्तीय लेन-देनों का पूर्ण विवरण प्रत्येक वर्ष "आय-व्ययक स्मृति-पत्र और ब्योरेवार अनुमान एवं अनुदान" में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें क्रमागत तीन वर्षों, गत वर्ष के वास्तविक, चालू वर्ष के पुनरीक्षित तथा आय-व्ययक वर्ष के अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण दिया जाता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियंत्रण की आवश्यकता के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत रहता है। इस प्रकार आय-व्ययक केवल वैधानिक नियंत्रण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन-देनों के लेखा सम्परीक्षा सम्बन्धी सीमित उद्देश्य की पूर्ति करता है।

1.2––पंचवर्षीय योजनाओं में इन वित्तीय आंकड़ों के प्रयोग का महत्व बढ़ाने के साथ आय-व्ययक सम्बन्धी आंकड़ों एवं तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के विधि-विधान में काफी परिवर्तन एवं सुधार किए गए हैं। फिर भी आय-व्ययक में दिए गए आंकड़ों की वर्तमान प्रणाली से विभिन्न लेन-देनों के आर्थिक प्रभाव का सरलता से सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। उदाहरणार्थ आय-व्ययक सम्बन्धी साधनों से पूंजी निर्माण, राज्य सरकार की बचत, सरकार द्वारा राज्य आय में अंशदान, राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बन्धी लेन-देनों से घाटे के परिणाम का ज्ञान, राज्य के आय-व्ययक से नहीं हो पाता है। इसी प्रकार कुछ विभागों द्वारा चलाये गए वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यवाहक व्यय से उत्पादन की लागत का बोध तो होता है किन्तु "अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं" पर किए गए व्यय का कोई संकेत नहीं मिलता है। अतः इसे राज्य सरकार के कुल व्यय में शामिल नहीं होना चाहिए।

1.3––राज्य सरकार के आय-व्ययक में प्रस्तावित व्यय की मदों को मुख्यतः चालू खपत सम्बन्धी व्यय, पूंजी निर्माण और वित्तीय निवेश आदि के रूप में बांटा जाता है। आय-व्ययक से इस बात का ज्ञान सुगमता से नहीं हो पाता है कि किसी विशेष योजना के अन्तर्गत चालू खपत सम्बन्धी व्यय तथा पूंजी अथवा व्यवस्था सम्बन्धी व्यय पृथक्-पृथक कितना है। उदाहरण के लिए खपत सम्बन्धी व्यय में प्रशासनिक व्यय के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था भी सम्मिलित रहती है जिसका विकास में उतना ही योगदान है जितना वस्तुगत पूंजी निर्माण का होता है। विकासशील अर्थ-व्यवस्था में राजकीय व्यय का एक महत्वपूर्ण योगदान है अतः राजकीय लेन-देनों का अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव एवं शेष अर्थ-व्यवस्था के शेष खण्डों से उपलब्ध तत्सम्बन्धी प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। विशेष अर्थ-व्यवस्था से तात्पर्य राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं–जैसे केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों निजी वाणिज्यिक निगमों, कम्पनियों और व्यक्तियों से है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण किया जाता है। आर्थिक वर्गीकरण में समस्त सरकारी ब्योरेवार व्यय को पृथक करके उनको अर्थ-पूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूंजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है जबकि कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण में व्ययों को सम्बन्धित योजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक सेवाओं आदि के अन्तर्गत बांट कर दिखाया गया है।

1.4––उत्तर प्रदेश सरकार के आय-व्ययक सम्बन्धी लेन-देनों के आर्थिक प्रभाव को सुगमतापूर्वक समझने के उद्देश्य से आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण सर्वप्रथम वर्ष 1965–66 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वर्ष 1966–67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण की आरम्भ किया गया। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग, केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957–58 से तथा आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 1967–68 से कर रहा है।

1.5––इस प्रकाशन में अध्ययन का विषय क्षेत्र वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के समान ही है अर्थात् इसमें वर्ष 1993–94 के लिए आय-व्ययक में दिए गए वर्ष 1991–92 के वास्तविक व्यय, 1992–93 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 1993–94 के आय-व्ययक अनुमानों के विभिन्न मदों को पुनर्वर्गीकृत एवं पुनः समूहीकृत करके उनका विश्लेषण किया गया और उन्हें आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ कार्यात्मक वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

1.6––राज्य सरकार के समस्त लेन-देनों को वर्गीकृत एवं समूहीकृत करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रीति विधान को अपनाया गया है और भारत सरकार द्वारा गठित क्षेत्रीय लेखा समिति को अन्तिम रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों के आधार पर इसे संशोधित भी किया गया। वर्ष 1983–84 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा आयोजित कार्यशाला में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए पुस्तिका के विवरणों में आवश्यक संशोधन पुनः किए गए। उदाहरणार्थ परिवहन एवं संचरक अनुरक्षण एवं मरम्मत सम्बन्धी व्यय का आधा पूंजीगत तथा आधा भाग खपत सम्बन्धी व्यय माना गया। वर्गीकरण हेतु अपनाई गई प्रणाली के अनुसार एक ओर चालू लेन-देन को पूंजीगत लेन-देन से पृथक किया गया तथा दूसरी ओर "वस्तुओं एवं सेवाओं" में लेन-देन अन्तरण से पृथक कर दिया गया: इसी प्रकार राजकीय प्रशासन से चालू लेन-देन विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू लेन-देन से पृथक कर दिया गया क्योंकि राजकीय प्रशासन के "वस्तुओं एवं सेवाओं" पर चालू व्यय अन्तिम परिव्यय है, जबकि विभागी वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू व्यय अन्तर्वर्ती व्यय है जैसे कच्चा माल, ईंधन इत्यादि के मूल्य। इसी प्रकार शुद्ध विभागीय लेन-देन को भी "वस्तुओं एवं सेवाओं" में लेन-देन एवं अन्तरणों से पृथक कर दिया गया।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधिकारियों से अगस्त, 1986 में हुए विचार-विमर्श के अनुसार कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण की मदों में कुछ संशोधन किए गए जिसके अनुसार पूर्व वर्षों में प्रस्तुत मद–5 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाओं को दो उपमदों "समाज कल्याण सेवायें" तथा "समाज सुरक्षा सेवाओं" में विभक्त कर दिया गया। मद 8.5 परमाणुविक ऊर्जा की मद अतिरिक्त मद के रूप में जोड़ी गई। इसी प्रकार मद–9 अन्य सेवाओं को दो उपमदों विपदा सहायता तथा अन्य विविध कार्य में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय लेखा सलाहकार समिति की दिनांक 3 से 5 जून, 1987 की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार वर्गीकरण में कुछ मुख्य परिवर्तन किए गए। स्कूल के बच्चों को भोजन एवं पौष्टिक आहार पर किए गए व्यय तथा गुप्त सेवा व्यय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय न मानकर बल्कि चालू अन्तरण मानकर आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर किए गए व्यय को कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण के अन्तर्गत आर्थिक सेवा न मानकर स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत वर्गीकरण किया गया। अभी तक सम्पूर्ण पेन्शन राशि को सरकारी प्रशासन के अन्तर्गत माना जाता रहा था, जिसे अब सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वेतन और मजदूरी पर हुए व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। इसे पुनः कार्य सम्बन्धी वर्गीकृत मदों के वेतन और मजदूरी सम्बन्धी व्यय के अनुपात में विभाजित किया गया। विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के चालू खाते में वस्तुओं एवं सेवाओं पर हुए व्यय में से किराए की राशि को अलग कर अतिरिक्त मद के रूप में प्रस्तुत किया गया।

1.7––राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बन्धी समस्त लेन-देनों को निम्न 6 प्रमुख लेखाओं में पुनर्गठित किया गया है। प्रत्येक लेखा के दो पक्ष हैं––आय- पक्ष तथा व्यय पक्ष––

लेखा 1––वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण	सरकारी प्रशासन का चालू खाता।
लेखा 2––वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण	विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता।
लेखा 3––वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण	सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।
लेखा 4––वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन	सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।
लेखा 5––वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन	सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।
लेखा 6––सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता।	

1.8––प्रस्तुत पुस्तिका में आय-व्यय के कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय एवं उसका प्रतिशत वितरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय के वास्तविक एवं प्रतिशत वितरण सम्बन्धी वर्ष 1971–72, 1973–74, 1978–79, 1979–80, 1984–85 तथा 1988–89 से 1991–92 तक के आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति परिशिष्ट के रूप में दिखाई गई हैं।

अध्याय—2

लेखा विवरण

2.1—आय-व्यय सम्बन्धी लेन-देन का पुनर्वर्गीकरण तथा पुनः समूहीकरण करके जिन 6 लेखाओं को प्रस्तुत किया गया है उन्हें देखने से स्पष्ट है कि लेखा—1 से 3 सरकार के वस्तुओं एवं सेवाओं तथा अन्तरणों के लेन-देन से सम्बन्धित है। लेखा—1 के व्यय पक्ष में सरकार के खपत सम्बन्धी व्यय तथा चालू अन्तरण का ब्योरा दिया गया है जिसमें खपत सम्बन्धी व्यय के अन्तर्गत मजदूरी व वेतन एवं पेंन्शन तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय को अलग-अलग दर्शाया गया है। इस लेखा के आय पक्ष में सरकार के प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उद्यमों एवं सम्पत्तियों से आय, परिवारों से अन्तरण तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का ब्योरा दिया गया है। लेखा—2 में राज्य सरकार के विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे—वन, सिंचाई, दुग्ध विकास, राजकीय मुद्रणालय तथा उद्योग द्वारा उत्पादन व्यय एवं प्राप्ति का ब्योरा दिया गया है। लेखा—3 में विभिन्न मदानुसार सरकारी प्रशासन व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के पूंजी व्यय तथा पूंजी अन्तरण का विवरण दिया गया है।

2.2—लेखा—4 से 6 तक सरकार के समस्त वित्तीय लेन-देनों का ब्योरा दिया गया है जो शेष अर्थ-व्यवस्था पर सरकार के शुद्ध वित्तीय दायित्वों को दर्शाता है। लेखा—4 में वित्तीय परिसंपत्तियों में शुद्ध वृद्धि सम्बन्धी समस्त लेन-देनों को वर्गीकृत किया गया है जिसमें अंशकों में निवेश, पूंजी निर्माण हेतु ऋण एवं अग्रिम, चालू खपत हेतु ऋण एवं अग्रिम आदि सम्मिलित है। लेखा—5 सरकार के वित्तीय दायित्वों को दर्शाता है। जिसमें सार्वजनिक ऋण, निक्षेप, तथा विप्रेषण, सम्मिलित किया गया है। लेखा—6 सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी का समाधान खाता है। यह खाता लेखा 3, 4, 5 की शुद्ध स्थिति का समावेश करते हुए राज्य सरकार के रोकड़ स्थिति से सम्बन्धित समस्त लेन-देन के प्रभाव को दर्शाता है।

2.3—उपरोक्त 6 लेखा आगे के पृष्ठों पर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश

लेखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण

व्यय		वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय व्ययक अनुमान 1993-94
1		2	3	4
1--खपत सम्बन्धी व्यय--	..	328282	337266	397669
1.1--कर्मचारियों को प्रतिकर		258387	276998	343249
(क) मजदूरी और वेतन		230084	252089	317888
(ख) पेन्शन	..	28303	24969	25361
1.2--वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध क्रय--	..	69895	60268	54420
(क) वस्तुओं और सेवाओं का क्रय*	..	85365	73616	68971
(ख) घटाइये--वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय	..	15470	13348	14551
2--अन्तरण अदायगियां--	..	521563	624941	706590
2.1--ब्याज	..	144826	177173	214049
2.2--अनुदान--	..	257297	302744	356439
(क) स्थानीय निकायों को	..	19705	24803	23818
(ख) सहकारी संस्थाओं को	..	4554	11341	1433
(ग) शिक्षा संस्थाओं को	..	181715	209887	271982
(घ) अन्य संस्थाओं को	..	51323	56713	59206
2.3--राज सहायता**	..	77146	80583	80090
2.4--अन्य चालू अन्तरण	..	42294	64441	56012
3--चालू खाते में बचत	..	(--)33106	(--)47998	(--)82444
4--योग	..	816739	914299	1021815

*1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 720 लाख रु0, 1366 लाख रु0 और 1121 लाख रु0 के बराबर मानकर प्रशासनिक खपत सम्बन्धी व्यय में शामिल कर लिया गया है।

**1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में उद्योग तथा सिंचाई प्रतिष्ठानों की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 70702 लाख रु0 70231 लाख रु0 और 72920 लाख रु0 राज सहायता मानकर सम्मिलित कर लिया गया है।

सरकार

—1

--सरकारी प्रशासन का चालू खाता

(लाख रुपयों में)

राजस्व		वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-94
5		6	7	8
5--कर राजस्व	..	622714	707971	806301
5.1--प्रत्यक्ष कर--	..	90095	105031	123452
(क) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	..	85794	101559	119792
(ख) राज्य कर		4301	3472	3660
5.2--अप्रत्यक्ष कर	..	532619	602940	682849
(क) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा		202008	240502	255773
(ख) राज्य कर	..	330611	362438	427076
6--उद्यमों और संपत्तियों से आय--	..	8953	10004	10415
6.1--विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से लाभ	..	3174	3215	3575
6.2--विनिवेश से आय	..	299	968	969
6.3--राज्य विद्युत् परिषद् से ब्याज की प्राप्तियां	..	4	..	..
6.4--ब्याज की प्राप्तियां	..	3682	3980	3823
6.5--सम्पत्तियों से अन्य आय	..	1794	1841	2048
7--परिवारों से अन्तरण--	..	40979	51318	50825
8--राजस्व अनुदान, अंशदान एवं शेष अर्थ-व्यवस्था से वसूलियां	..	144093	144916	154274
9--योग	..	816739	914209	1021815

उत्तर प्रदेश

लेखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन और अन्तरण----

व्यय		वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुदान 1992-93	आय-व्ययक अनुदान 1993-94
1		2	3	4
व्यय--	..	27875	23108	27337
1-मजदूरी और वेतन				
2-वस्तुयें और सेवायें	..	18163	18960	18933
3-किराया	..	28	40	33
4-मरम्मत और अनुरक्षण	..	9624	7631	7814
5-ब्याज	..	26091	36003	36003
6-अवमूल्यन के लिये व्यवस्था	..	3519	3728	3728
7-ग्रहीत लाभ	..	-	-	-
8-सरकारी प्रशासन के चालू खाते में अन्तरित लाभ	..	3174	3215	3575
9-योग	..	88474	92685	97422

सरकार

—2

विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता

(लाख रुपयों में)

राजस्व		वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-94
5		6	7	8
10--विक्रय से आय--	..	85961	89551	94060
(क) वन	..	8543	8980	9426
(ख) सिंचाई*	..	75773	78686	82577
(ग) दुग्ध सम्पूर्ति	..	-	-	-
(घ) राजकीय मुद्रणालय* *	..	1594	1836	2008
(ङ) उद्योग †	..	51	49	49
11--अवमूल्यन रक्षित निधि पर ब्याज	..	2513	3134	3362
12--योग	..	88474	92685	97422

*सिंचाई प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में उठाई गई हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमश: 70656 लाख रु0, 70188 लाख रु0 और 72879 लाख रु0 सम्मिलित है ।

**राजकीय मुद्रणालय द्वारा वर्ष 1991-92,1992-93 एवं 1993-94 में उठाई गई हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमश: 720 लाख रु0, 1366 लाख रु0 और 1121 लाख रु0 सम्मिलित है ।

†औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में उठाई गई हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमश: 46 लाख रु0, 43 लाख रु0, एवं 41 लाख रु0 सम्मिलित है ।

उत्तर प्रदेश

लेखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन और अन्तरण--

संवितरण		वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-94
1		2	3	4
1--सकल पूंजी निर्माण--	..	119441	184628	182558
(अ) सरकारी प्रशासन द्वारा	..	87958	137693	135841
1.1--भवन तथा अन्य निर्माण—		94735	131810	129270
(क) भवन निर्माण—	..	30840	42664	39069
(1) नया परिव्यय	..	30563	42645	39066
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	..	277	19	3
(ख) अन्य निर्माण—	..	63895	89146	90201
(1) नया परिव्यय—	..	61648	87281	87913
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	..	2247	1865	2288
1.2--मशीन एवं उपकरण—	..	1882	8568	5799
(1) नया परिव्यय		1882	8568	5799
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	..	-	-	-
1.3--तालिकागत सामान में वृद्धि	..	(-)8659	(-)2685	772
(1) निर्माण सम्बन्धी सामान	..	2152	455	400
(2) अन्य, उर्वरक आदि का भण्डार--	..	(-)10811	(-)3140	372
(ब) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा	..	31483	46935	46717
1.4--भवन तथा अन्य निर्माण--	..	30238	44569	44840
(क) भवन निर्माण		279	207	440
(1) नया परिव्यय	..	279	207	440
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	..	-	-	-
(ख) अन्य निर्माण	..	29959	44362	44400
(1) नया परिव्यय	..	29948	44354	44392
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	..	11	8	8
1.5--मशीन एवं उपकरण--	..	1688	2320	1877
(1) नया परिव्यय	..	662	1082	777
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	..	1026	1238	1100
1.6--तालिकागत सामान में शुद्ध वृद्धि	..	(-)443	46	-
2--पूंजी अन्तरण	..	41702	37283	34942
2.1--पूंजी अनुदान स्थानीय निकायों को	..	7482	7440	7189
2.2--पूंजी अनुदान अन्य को	..	34220	29842	27752
2.3--जमींदारों और जागीरदारों आदि को प्रतिकर		-	1	1
3--योग	..	161143	221911	217500

सरकार

—3

--सरकार प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजीखाता

(लाख रुपयों में)

प्राप्तियां	वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनुमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–94
5	6	7	8
प्राप्तियां--			
4—सकल बचत ..	(–) 29587	(–) 44270	(–) 78716
4.1–सरकारी प्रशासन के चालू खाते में बचत ..	(–) 33106	(–) 47998	(–) 82444
4.2–विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से अवमूल्यन के लिए व्यवस्था	3519	3728	3728
4.3–विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का ग्रहीत लाभ ..	–	–	–
5—पूंजी अन्तरण ..	97358	105400	104727
5.1–सम्पदा शुल्क ..	–	–	–
5.2–भारत सरकार तथा अन्य राज्यों से पूंजीगत अनुदान, अंशदान और प्राप्तियां	97358	105400	104727
6—वस्तुओं और सेवाओं से सम्पूर्ण लेन-देन और अन्तरणों मे शेष ..	93372	160781	191489
7—योग ..	161143	221911	217500

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा—4

वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

मद		वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनुमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–94
1		2	3	4
क––व्यय–				
1––निवेश	..	10796	23643	6645
1.1–राजकीय उपक्रमों में	..	8191	17801	5170
1.2–अन्य उपक्रमों में	..	2605	5842	1475
2––ऋण एवं अग्रिम	..	158523	162790	157153
2.1––पूंजी निर्माण हेतु––	..	147668	147835	140935
(क) सहकारिता को	..	1706	2277	2056
(ख) स्थानीय निकायों को	..	2931	4086	4826
(ग) राज्य विद्युत् परिषद् को	..	131525	124940	114150
(घ) सार्वजनिक उद्यमों को	..	6831	9840	7927
(ङ) अन्य को	..	4675	6692	11976
2.2––चालू खपत हेतु	..	10855	14955	16218
(क) सहकारिता को	..	8157	11619	14456
(ख) स्थानीय निकायों को	..	636	226	–
(ग) सार्वजनिक उद्यमों को	..	332	2613	1500
(घ) अन्य को	..	1730	497	262
3––योग	..	169319	186433	163798

5		6	7	8
ख––आय–				
4––ऋणों की वसूलियां	..	18699	20806	19716
5––शेष––वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि	..	150620	165627	144082
6––योग	..	169319	186433	163798

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा—5

वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

मद		वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनुमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–94
1		2	3	4
क—व्यय—				
1—सार्वजनिक ऋणों की वापसी	..	58101	70853	75794
1.1—स्थायी ऋण	..	39	3975	9318
1.2—केन्द्रीय सरकार से ऋण		46281	49740	56841
1.3—अन्य ऋण	..	11781	17138	9635
2—शेष—वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि	..	231431	307127	336150
3—योग	..	289532	377980	411944
5		6	7	8
ख—आय—				
4—सार्वजनिक ऋण	..	270175	300433	334887
4.1—स्थायी ऋण	..	58671	63807	68898
4.2—केन्द्रीय सरकार से ऋण	..	222685	221782	253733
4.3—अन्य ऋण	..	7204	14844	12256
4.4—अल्पकालीन ऋण (शुद्ध)	..	(–)18385	–	–
5—अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध)	..	35050	46090	42977
6—अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा (शुद्ध)	..	(–)196	–	–
7—अन्य—ऋण, निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध)	..	(–)15497	31457	34080
8—योग	..	289532	377980	411944

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा—6

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–94
1	2	3	4
क—व्यय—			
1—वस्तुओं और सेवाओं के सब लेन-देन और अन्तरणों पर घाटा (सन्तुलनकारी मद लेखा–3) ..	93372	160781	191489
2—वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद लेखा–4)	150620	165627	144082
3—रोकड़ बाकी में वृद्धि ..	—	—	579
4—योग ..	243992	326408	336150
5	6	7	8
ख—आय—			
5—वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद लेखा–5)	231431	307127	336150
6—रोकड़ बाकी में कमी ..	12561	19281	—
7—योग ..	243992	326408	336150

अध्याय—3

सामंजस्य (रिकन्सिलियेशन)

आय-व्ययक (वित्तीय विवरणों) में दिये गये राजस्व और व्यय के योग आर्थिक वर्गीकरण में दिए गए योगों से नहीं मिलते हैं। उदाहरणार्थ सामान्य आय-व्ययक में वर्ष 1993–94 के लिए राजस्व लेखा की प्राप्तियां 11937.19 करोड़ रु0 रखी गई है जबकि इस वर्गीकरण के लेखा–1 में राजकीय प्रशासन का इस वर्ष के लिए चालू राजस्व 10218.15 करोड़ रु0 निकाला गया है। इसी प्रकार वर्ष 1993–94 के लिए राजस्व लेखा से वाह्य राजकीय पूंजीगत व्यय 1079.19 करोड़ रु0 है जबकि यही धनराशि इस वर्गीकरण के लेखा 3 में 2175.00 करोड़ रु0 है। इस वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न अतिरेक तथा घाटे आय-व्ययक में दिखाए गए अतिरेक एवं घाटों से भिन्न है। उदाहरणार्थ आय-व्ययक का राजस्व लेखा 1235.61 करोड़ रुपये का घाटा इंगित करता है जबकि आर्थिक वर्गीकरण में राजकीय प्रशासन (लेखा–1) का चालू खाता 824.44 करोड़ रु0 का ही घाटा प्रदर्शित करता है। सामान्य आय-व्ययक के पुनः वर्गीकरण के परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रकार की विषमताओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि इन विषमताओं की व्याख्या की जाए। इसी उद्देश्य से आर्थिक वर्गीकरण के आंकड़ों का सामान्य आय-व्ययक में दिए गए राजस्व व्यय तथ पूंजी लेखा के आंकड़ों से सामन्जस्य प्रस्तुत किया गया है। यह सामन्जस्य प्राप्तियों और व्ययों के अपेक्षित अनुमान की तुलना के साथ-साथ पुनः वर्गीकरण में निहित समायोजनों को भी संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह सामन्जस्य अनुवर्ती सारणियों में दिखाया गया है।

———

सारणी--3.1

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-94
1	2	3	4
I— चालू लेखा-राजस्व—			
1—राजस्व जैसा कि वित्तीय विवरण में दिखाया गया है ..	967461	1084054	1193719
2—घटाइएं— ..	153890	173365	175960
(1) पूंजी लेखा में अतिरिक्त सम्पदा शुल्क ...	..	..	..
(2) भूमि और सम्पत्ति का विक्रय ..	47	42	42
(3) वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्ति जिनको व्यय में से घटा दिया गया ..	15470	13348	14551
(4) भारत सरकार से प्राप्त एवं पूंजी लेखा में अन्तरित पूंजी प्रकृति के अनुदान ..	97358	105400	104727
(5) निधियों से प्राप्तियां ..	6	..	..
(6) रोकड़ शेष के विनियोजन खाते पर ब्याज ..	116	300	300
(7) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की बिक्री से आय ..	14539	17954	20019
(8) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ब्याज की प्राप्तियां ..	26091	36003	36003
(9) पेंशन सम्बन्धी अंशदान और वसूलियां ..	263	318	318
3—जोड़िए— ..	3168	3520	4056
(1) राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो राजस्व की प्राप्तियों के रूप में दिखाई गई ..	(-)6	305	481
(2) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का लाभ ..	3174	3215	3575
(3) अन्य प्रकीर्ण मदें ..	..	..	..
4—कुल समायोजन	(-)150722	(-)169845	(-)171904
5—आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू राजस्व (लेखा-1, मद-9)	816739	914209	1021815

तारणी—3.1

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनुमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–94
1	2	3	4
II—चलू लेखा—व्यय—			
1—वित्तीय विवरणों में दिखाए गए राजस्व सम्बन्धी व्यय ..	1039920	1176376	1317280
2—घटाइए— ..	190069	214474	213502
(1) वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्ति ..	15470	13348	14551
(2) ऋण कम करना अथवा उसके परिहार के लिए विनियोग	18720	21380	25097
(3) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ब्याज की वसूलियों को प्राप्तियां न मानना	26091	36003	36003
(4) रोकड़ शेष विनियोजन खाता पर ब्याज ..	116	300	300
(5) राजस्व लेखा में पूंजी जैसा व्यय ..	92173	109717	103541
(6) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू शुद्ध व्यय	13878	17873	19806
(7) पूंजी लेखा में लेखा पालन सम्बन्धी अन्तरण ..	7606	8007	7616
(8) निधियों में अन्तरण (निधियों के अन्तरण के समायोजन के पश्चात्)	15752	7528	6270
(9) पेंशन सम्बन्धी अंशदान और वसूलियां ..	263	318	318
3—जोड़िए—			
	(–)6	305	481
(1) पूंजी लेखा में राजस्व जैसा व्यय ..	—	—	—
(2) राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो कि राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाई गई	(–)6	305	481
(3) अन्य प्रकीर्ण मदें ..	—	—	—
4—कुल समायोजन ..	(–)190075	(–)214169	(–)213021
5—आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू व्यय (लेखा–1, मद 1+2) ..	849845	962207	1104259

सारणी—3.1 (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनुमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–
1	2	3	4
III—पूंजी लेखा—व्यय—			
1—वित्तीय विवरण में दिखाया गया राजस्व से चुकाया जाने वाला पूंजीगत व्यय	71377	122617	107919
2—घटाइए ·	10843	23685	6687
(1) वित्तीय निवेश ..	10796	23643	6645
(2) पूंजी लेखा में राजस्व जैसा व्यय ..	—	—	—
(3) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू व्यय ..	—	—	—
(4) राजस्व प्राप्तियों में से भूमि और सम्पत्ति की विक्रय राशि का घटाया जाना	47	42	42
3—जोड़िए— ..	100609	122979	116268
(1) राजस्व लेखे से चुकाया जाने वाला पूंजी व्यय ..	92173	109717	103541
(2) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के राजस्व लेखा से चुकाया जाने वाला पूंजीगत व्यय	7606	8007	7616
(3) वसूलियों के लिए बजट में व्यय को पूरा करना ..	—	—	—
(4) निधियों से अन्तरण ..	830	5255	5111
(5) अन्य प्रकीर्ण मदें ..	—	—	—
4—कुल समायोजन ..	89766	99294	109581
5—आय-व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया पूंजीगत व्यय (लेखा–3, मद–3)	161143	221911	217500

अध्याय—4

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष

4.1—गत पृष्ठों में वर्णित लेखाओं में प्रदेश की शेष अर्थ-व्यवस्था की तुलना में राज्य सरकार के लेन-देनों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है इस विश्लेषण से जिन महत्वपूर्ण निष्कर्षों का पता चलता है उनमें से कुछ निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

(क) राज्य सरकार का कुल व्यय तथा अन्तिम परिव्यय,
(ख) आय-व्ययक सम्बन्धी साधनों में से पूंजी निर्माण और शुद्ध पूंजी निर्माण,
(ग) राज्य सरकार की बचत,
(घ) राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बन्धी लेन-देनों में होने वाले घाटे की विभिन्न स्तर,
(ङ) राज्य सरकार द्वारा आय सृजन ।

(क) (1) कुल व्यय—

4.1.1—1993-94के आय-व्ययक में विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्य चालन व्ययों को छोड़कर राज्य सरकार का अनुमानित कुल व्यय 14658.41 करोड़ रुपये है । यह व्यय 1992-93 के पुनरीक्षित अनुमानों से 1160.96 करोड़ रुपये तथा 1991-92 के वास्तविक खर्च से 3042.33 करोड़ रुपये अधिक है । व्यय के मुख्य मदों के अनुसार वितरण नीचे सारिणी में दिया गया है :—

सारणी—4.1

(लाख रुपयों में)

व्यय की मदें	वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-94
1	2	3	4
1—अन्तिम परिव्यय	447723	521894	580227
(क) राजकीय खपत सम्बन्धी व्यय (देखिए लेखा-1, मद-1)	328282	337266	397669
(ख) सकल पूंजी निर्माण (देखिए लेखा-3, मद 1) ..	119441	184628	182558
2—राज्य के शेष अर्थ-व्यवस्था में अन्तरण अदायगियां	563265	662224	741532
(क) चालू अन्तरण (देखिए लेखा-1, मद-2)	521563	624941	706590
(ख) पूंजी अन्तरण (देखिए लेखा-3, मद-2) ..	41702	37283	34942
3—राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय निवेश और ऋण (शुद्ध) .. (देखिए लेखा-4, मद-5)	150620	165627	144082
4—कुल व्यय (1+2+3)	1161608	1349745	1465841

(क) (2) अन्तिम परिव्यय

4.1.2—1993-94 के लिए आय-व्ययक में 14658.41 करोड़ रुपये के अनुमानित कुल व्यय में से 5802.27 करोड़ रुपया या कुल व्यय का 39.6 प्रतिशत सरकार का अन्तिम परिव्यय है । 1992-93के पुनरीक्षित अनुमान एवं 1991-92 के वास्तविक अन्तिम परिव्यय क्रमश: 5218.94 करोड़ रुपये एवं 4477.23 करोड़ रुपये है जो कुल व्यय अर्थात् 13497.45 करोड़ रुपये एवं 11616.08 करोड़ रुपये का क्रमश: 38.7 एवं 38.5 प्रतिशत है । यह परिव्यय खपत और पूंजी निर्माण के लिए राज्य सरकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग को इंगित करते हैं । वर्ष 1993-94 में कुल व्यय का शेष भाग 8856.14 करोड़ रुपये या 60.4 प्रतिशत अंश अन्तरण अदायगिया, वित्तीय निवेशों एवं ऋणों के रूप में शेष अर्थ-व्यवस्था को प्रदान करने के लिए अनुमानित है जो कि अन्य खण्डों से उनके चालू अथवा पूंजीगत प्राप्तियों को अनुपूरित करने के लिये है । कुल व्यय का शेष भाग वर्ष 1992-93 (पुनरीक्षित अनुमान) और 1991-92 (वास्तविक)के लिए क्रमश: 8278.51 करोड़ रुपये तथा 7138.85 करोड़ रुपये तथा तत्सम्बन्धी प्रतिशत क्रमश: 61.3 एवं 61.5 है ।

(ख)(१)--सकल पूंजी निर्माण--

4.1.3-1993-94 में राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुल पूंजी निर्माण की धनराशि 1825.58 करोड़ रु आंकी गई है, जो इस वर्ष के अन्तिम परिव्यय के कुल 5802.27 करोड़ रुपये का 31.5 प्रतिशत है। यह राशि वर्ष 1992-९ के पुनरीक्षित अनुमानों से 20.70 करोड़ रुपये कम एवं 1991-92 के वास्तविक व्यय से 631.17 करोड़ रुपये अधिक

(ख) (2) शुद्ध पूंजी निर्माण

4.1.4-1993-94 में राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण अर्थात् स्थिर परिसम्पत्तियों तथा तालिकागत सामानों भण्डार में वृद्धि 1791.59 करोड़ रुपये होने का प्राविधान है। वर्ष 1992-93 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार 1814.9 करोड़ रुपये तथा 1991-92 के वास्तविक व्यय पर आधारित 1158.80 करोड़ रुपये थे। शुद्ध पूंजी निर्माण के विभिन्न वर्ग का विवरण नीचे की सारिणी में दिया गया है--

सारणी--4.2

(लाख रुपयों में

पूंजी निर्माण की मदें	वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-94
1	2	3	4
1--भवन तथा अन्य निर्माण कार्य [देखिए लेखा-3, मद-1, 1-क (1)+ +ख (1) तथा 1.4क(1)+ख(1)]	122438	174487	171811
2--मशीन और उपकरण [देखिए लेखा-3, मद-1.2(1), व 1.5(1)]	2544	9650	6576
3-तालिकागत सामान में वृद्धि (देखिए लेखा-3, मद-1.3 व 1.6)	(-) 9102	(-)2639	772
4-शुद्ध पूंजी निर्माण (1+2+3)	115880	181498	179159

(ख) (3) शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता--

4.1.5--राज्य सरकार द्वारा किए गए शुद्ध पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1993-94 के लिए 1825.21 करोड़ रुपये का प्राविधान है यह सहायता 1992-93 के लिए 2087.60 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 1991-92 के लिए 2001.66 करोड़ रुपय (वास्तविक) थी। ऐसी सहायता के विभिन्न वर्गों का विवरण नीचे दिया गया है--

सारणी--4.3

(लाख रुपयों में

सहायता की मदें	वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-94
1	2	3	4
1--पूंजी निर्माण के लिए अनुदान (देखिए लेखा-3, मद-2.1 व 2.2)	41702	37282	34941
2--पूंजी निर्माण के लिए ऋण (देखिए लेखा-4, मद-2.1) ..	147668	147835	140935
3--निवेश (इन्वेस्टमेण्ट) (देखिए लेखा-4, मद-1) ..	10796	23643	6645
4--शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए कुल वित्तीय सहायता (1+2+3) ..	200166	208760	182521

(ख) (4) राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बन्धी साधनों से शुद्ध पूंजी निर्माण--

4.1.6--पूर्व प्रस्तरों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा अपने आय-व्ययक सम्बन्धी साधनों से शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए वर्ष 1993-94 में कुल मिलाकर 3616.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुमानित है। यह व्यवस्था 1992-93 के लिए 3902.58 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 1991-92 के लिए 3160.46 करोड़ रुपये (वास्तविक रकम) थी।

ये राशियां 14658.41 करोड़ रुपये, 13497.45 करोड़ रुपये और 11616.08 करोड़ रुपये के कुल व्ययों की क्रमश: 24.7 प्रतिशत, 28.9 प्रतिशत तथा 27.2 प्रतिशत है। इसकी संरचना नीचे तालिका में दिखाई गई है :--

सारणी--4.4

(लाख रुपयों में)

शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए आय-व्ययक सम्बन्धी संसाधन	वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 993-94
1	2	3	4
1--राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण (सारणी 4.2, मद-4) ..	115880	181498	179159
2--शेष अर्थ-व्यवस्था में शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (सारणी 4.3, मद-4)	200166	208760	182521
3--आय-व्ययक सम्बन्धी संसाधनों द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण (1+2)	316046	390258	361680

(ग) राज्य सरकार की बचत--

4.1.7--राज्य सरकार द्वारा 1993-94 में राजकीय शुद्ध घाटा 821.15 करोड़ रुपये अनुमानित है। 1992-93 के पुनरीक्षित अनुमानों में शुद्ध घाटा 474.00 करोड़ रुपये तथा 1991-92 में वास्तविक शुद्ध घाटा 331.48 करोड़ रुपये था जैसा कि निम्न सारणी में दिखाया गया है :--

सारणी--4.5

(लाख रुपयों में)

चत	वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-94
1	2	3	4
1--चालू खाते की बचत (देखिए लेखा-3, मद-4.1) ..	(-)33106	(-)47998	(-)82444
2--अवमूल्यन के लिए व्यवस्था (देखिए लेखा-3, मद-4.2) ..	3519	3728	3728
3--ग्रहीत लाभ (देखिए लेखा-3, मद-4.3) ..	-	-	-
4--राज्य सरकार की कुल बचत (1+2+3) ..	(-)29587	(-)44270	(-)78716
5--नवीकरण तथा प्रतिस्थापन पर व्यय (देखिए लेखा-3) ..	3561	3130	3399
6--राज्य सरकार की शुद्ध बचत (4-5) ..	-)33148	(-)47400	(-)82115

(घ) चालू प्राप्तियां (करेन्ट रिसीट्स)--

4.1.8--1993-94 के लिए चालू प्राप्तियों के आय-व्ययक अनुमान 10218.15 करोड़ रु० है। वर्ष 1992-93 के लिए पुनरीक्षित अनुमान 9142.09 करोड़ रुपये एवं वर्ष 1991-92 की वास्तविक प्राप्तियां 8167.39 करोड़ रुपये थी। इन चालू प्राप्तियों को आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है :--

सारणी--4.6

(लाख रुपयों में)

चालू प्राप्तियां	वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-94
1	2	3	4
1--करों से प्राप्तियां (देखिए लेखा-1, मद-5) ..	622714	707971	806301
2--उद्यमों एवं सम्पत्तियों से आय (देखिए लेखा-1, मद-6)	8953	10004	10415
3--परिवारों से अन्तरण (देखिए लेखा-1' मद-7	40979	51318	50825
4--राजस्व अनुदान, अंशदान एवं शेष अर्थ-व्यवस्था से वसूलियां (देखिए लेखा-1, मद-8)	144093	144916	154274
5--चालू प्राप्तियां (1+2+3+4) ..	816739	914209	1021815

(छ) चालू खर्च (करेन्ट आउटगोइंग)--

4.1.9--ऊपर दिखाई गई चालू प्राप्तियों के परिणाम की अपेक्षा 1993-94 के लिए आय-व्ययक में कुल 11042.! करोड़ रुपये के चालू खर्चों की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था 1992-93 के लिए 9622.47 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) एवं 1991-92 के लिए 8498.45 करोड़ रुपये (वास्तविक व्यय) की थी जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है :-

सारणी---4.7

(लाख रुपयों में)

चालू व्यय		वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-9
1		2	3	4
1--खपत सम्बन्धी व्यय (देखिए लेखा-1, मद-1)	..	328282	337266	397669
2--अन्तरण अदायगिया (देखिए लेखा-1, मद-2)	..	521563	624941	706590
3--चालू खर्च (1+2)		849845	962207	110425

(च) (1) आमदनी में घाटा (इन्कम डिफिसिट)--

4.1.10--शुद्ध बचत की अपेक्षा शुद्ध निवेश की अधिकता राज्य सरकार की आय में घाटे को प्रदर्शित करते है, जिसका विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है :--

सारणी---4.8

(लाख रुपयों में

शुद्ध निवेश एवं बचत		वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-9
1		2	3	4
1--राज्य सरकार के पूंजी निर्माण में शुद्ध निवेश (सारणी 4.2, मद-4)		115880	181498	179159
2--राज्य सरकार की शुद्ध बचत (सारणी 4..5, मद-6)		(-)33148	(-)47400	(-)82115
3--राज्य सरकार की आय में घाटा (1-2)		149028	228898	261274

उपर्युक्त घाटा उस अन्तर को प्रकट करता है जो शुद्ध पूंजी अन्तरण के समायोजन पर्यन्त राज्य सरकार को राज्य में लि जाने वाले वास्तविक ऋणों तथा वाह्य ऋणों से पूरा करना पड़ता है।

(च) (2) राज्य सरकार की वित्तीय आवश्यक्ताएं-

4.1.11--उपर्युक्त घाटों में शुद्ध पूंजी अन्तरणों के समायोजन के उपरान्त राज्य सरकार के वित्तीय परिसम्पत्तियों में लेन-देनों से उत्पन्न घाटे को जोड़ देने से प्राप्त योग सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करती है। जो लेखा-3 एव लेखा-4 में दिखाई गई सन्तुलनकारी मदों के योग से भी प्राप्त होता है। 1993-94 के लिए यह घाटा 3355.71 करोड़ रुपये है जो 1992-93 के पुनरीक्षित अनुमानों से 91.63 करोड़ रुपए अधिक तथा 1991-92 के वास्तविक घाटे से 915.79 करोड़ रुपए अधिक है, जैसा कि निम्न सारिणी से प्रकट है :--

सारणी---4.9

(लाख रुपयों में)

मद		वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-94
1		2	3	4
1--राज्य सरकार की आय में घाटा (देखिए सारणी 4.8, मद-3)		149028	228898	261274
2--शुद्ध पूंजी अन्तरण (लेखा-3, मद-5-मद--2)	..	55656	68117	69785
3--वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन-देन और अन्तरणों पर घाटा (1-2) (देखिए लेखा-3-मद-6)		93372	160781	191489
4--वित्तीय परिसम्पत्ति (एसेट्स) में शुद्ध वृद्धि (देखिए लेखा-4, मद-5)		150620	165627	144082
5--घाटा जो कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करता है (3+4)		243992	326408	335571

(छ) (1) वित्त व्यवस्था के स्रोत–

4.1.12––उपरोक्त घाटे को पूरा करने की वित्तीय व्यवस्था नीचे दी गई सारणी में दिखाई गई है :––

सारणी––4.10

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनुमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–94
1	2	3	4
1––शुद्ध ऋण (नेट बारोइंग)–	249816	307127	336150
1.1–स्थायी ऋण (शुद्ध) (परमानेन्ट डेट) ..	58632	59832	59580
1.2–केन्द्रीय सरकार से लिए गए ऋण (शुद्ध) ..	176404	172042	196892
1.3–अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध) (अनफन्डेड डेट) ..	35050	46090	42977
1.4–अन्य ऋण (शुद्ध) (अदर डेट्स) ..	(–) 4577	(–) 2294	2621
1.5–अन्य ऋण, निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध) (अदर डेट्स, डिपाजिट्स, रेमिटेन्सेज)	(–) 15497	31457	34080
1.6–अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा (शुद्ध) ..	(–) 96	–	–
2––घाटे की वित्तीय व्यवस्था (डिफिसिट फाइनेन्सिंग) ..	(–) 5824	19281	(–) 579
2.1–अल्पकालीन ऋण में वृद्धि (शुद्ध) (इन्क्रीज इनफ्लोटिंग डेट)	(–) 18385	–	–
2.2–रोकड़ बाकी से निकास (विदड्राल) ..	12561	19281	(–) 579
3––योग (1+2) (देखिए सारिणी 4.9, मद–5) ..	243992	326408	335571

मद–2 के अन्तर्गत दी गई घाटे की वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार से आय-व्ययक सम्बन्धी लेन-देनों का मुद्रा पूर्ति पर विस्तारक प्रभाव को केवल आंशिक रूप से प्रकट करती है।

(छ) (2) वित्तीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ––

4.1.13––1993–94 में सभी विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ 35.75 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। 1992–93 के लिए पुनरीक्षित अनुमान 32.15 करोड़ रुपये आंका गया है। 1991–92 में वास्तविक लाभ 31.74 करोड़ रुपये था। इन परिणामों से प्रतिष्ठानों की कार्य-प्रणाली पर वित्तीय परिणामों का पता चलता है। इसकी तुलना कार्य-चालित व्ययों की अपेक्षा कुल प्राप्तियों के अतिरेक द्वारा की जाती है। इनका अन्तरण राजकीय प्रशासन को कर दिया जाता है और उनके बचत में जोड़ दिया जाता है। शुद्ध लाभ की व्युत्पत्ति नीचे दिखाई गई है :––

सारणी––4.11

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनुमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–94
1	2	3	4
1––कुल प्राप्तियां– (देखिए लेखा–2, मद-12) ..	88474	92685	97422
2–कार्य चालक व्यय (आपरेटिंग एक्सपेन्सेज) (देखिए लेखा-2, मद–1 से 7)	85300	89470	93847
3–शुद्ध लाभ (1–2) ..	3174	3215	3575

(ण) राज्य आय में अंशदान--

4.1.14--राज्य सरकार की आय-व्ययक सम्बन्धी कार्यवाहियों से 1993-94 में कुल 4706.51 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान किया गया है। यह आय 1992-93 में 4007.54 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 1991-92 के लिए 3505.97 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा उत्पादित कुल आय का विवरण नीचे की सारिणी में दिया गया है:--

सारणी--4.12

(लाख रुपयों में)

आमदनी का विवरण	वास्तविक 1991-92	पुनरीक्षित अनुमान 1992-93	आय-व्ययक अनुमान 1993-94
1	2	3	4
1--सरकारी प्रशासन द्वारा दी गई मजदूरी और वेतन ..	230084	252029	317888
2--विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध उत्पादन ..	64434	68624	73442
(अ) मजदूरी और वेतन (मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों के मजदूरी सम्बन्धी 50 प्रतिशत भाग सहित)	32687	26924	31244
(ब) ब्याज ..	26091	36003	36003
(स) लाभ (प्रशासन को अन्तरित और रखे गए लाभ तथा नवीनीकरण और प्रतिस्थापन की अपेक्षा अवमूल्यन व्यवस्था का अतिरेक शामिल है)	5656	5697	6195
3--निर्माण-कार्यों पर होने वाले राजकीय परिव्यय का मजदूरी और वेतन सम्बन्धी भाग [लेखा-3 की मद, मद-1.1-क (1) व 1.4-क (1) का एक-तिहाई भाग तथा 1.1 (ख) (1) व 1.4-ख (1) का आधा भाग]	56079	80101	79321
योग (1+2+3) ..	350597	400754	470651

अध्याय—5

लेखाओं पर टिप्पणियां

लेखा—1

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण—सरकारी प्रशासन का चालू खाता

5.1—इस लेखा में राजकीय प्रशासकीय विभागों का चालू राजस्व और व्यय दर्शाए गए हैं। लेखा-2 के अन्तर्गत सम्मिलित विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभाग आर्थिक वर्गीकरण हेतु प्रशासकीय माने गए हैं। प्रशासकीय विभागों के चालू व्यय को राजकीय चालू खाते में अन्तिम परिव्यय के रूप में दिखलाया गया है जो कि राजकीय चालू खपत को दिखलाता है। प्रशासन के चालू व्यय में (1) अन्तिम परिव्यय और (2) अन्तरण अदायगियां (ट्रान्सफर पेमेन्ट) सम्मिलित है। अन्तरण अदायगियों द्वारा सरकार शेष अर्थ-व्यवस्था की निस्तारण योग्य आय "डिसपोजिबिल इन्कम" को अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करती है। इन सम्पूर्ण व्ययों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न करों, प्रकीर्ण प्राप्तियों, ऋणों अनुदानों और केन्द्रीय सरकार से वसूलियों इत्यादि से होने वाली सामुदायिक आय के एक भाग के अतिरिक्त विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभों का सरकार विनियोग करती है। खपत सम्बन्धी व्यय और चालू अन्तरण को पूरा करने के उपरान्त राजस्व का अभिशेष पूंजी निर्माण के लिए प्राप्त होने वाली सरकारी प्रशासन की बचत का द्योतक है।

मद 1.1 (क)—"मजदूरी और वेतन" में अधिकारियों के वेतन, अधिष्ठान का वेतन, उनके भत्ते (यात्रा एवं दैनिक भत्तों के अतिरिक्त) व मानदेय सम्मिलित है। भत्तों और मानदेयों में महंगाई भत्ता, मानदेय, प्रतिकर भत्ता, मकान किराया सम्बन्धी भत्ता, सवारी भत्ता और वर्दी भत्ता भी शामिल है। जहां यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते एक मुश्त दिए गए हैं वहां उनको दो सम्भागों में विभाजित कर दिया गया है। पूंजी निर्माणगत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मजदूरी और वेतन तथा पेंशन को निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

मद 1.1 (ख)—"पेंशन" के अन्तर्गत अधिवर्ष तथा सेवा निवृत्ति भत्ते, अनुकम्पा भत्ते तथा पारिवारिक पेंशन तथा पेंशनों की राशि मूल्य आदि सम्मिलित है।

मद 1.2—"वस्तुओं और सेवाओं" में राजकीय प्रशासन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं जैसे—लेखन-सामग्री और मुद्रण व्यय, टेलीफोन सम्बन्धी व्यय, विद्युत एवं जल सम्बन्धी व्यय, वर्दी सम्बन्धी व्यय, यात्रा एवं दैनिक भत्ते, मनोरंजन सम्बन्धी व्यय, चिकित्सा एवं आहार सम्बन्धी व्यय, पुस्तकें एवं सामयिक पत्रिकाएं, अन्य सरकारों को दिया गया अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय, कच्चा माल और वाहनों का परिचालन व्यय सम्बन्धी क्रय, मरम्मत और अनुरक्षण सम्बन्धी व्यय, प्रासंगिक व्यय शीर्षक के अन्तर्गत आकस्मिक श्रमिकों को मजदूरियों की अदायगी सम्मिलित है। राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य प्रशासन की खपत सम्बन्धी व्यय मान कर इस मद में शामिल कर लिया गया है। निर्माणगत परियोजनाओं पर किया गया "वस्तुओं और सेवाओं" का अंश निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है। वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्तियों को व्यय में से घटा दिया गया है।

मद 2—"अन्तरण अदायगियां"—आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार के व्यय तीन प्रकार के होते हैं—1—खपत सम्बन्धी व्यय 2—पूंजीगत व्यय, 3—शेष अर्थ-व्यवस्था में अन्तरण (वर्गीकरण के पूंजीगत खाते में कुछ अन्तरण पूंजी निर्माण का स्वरूप देते हैं इसलिए आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत चालू अन्तरण को पूंजीगत अन्तरण से भिन्न माना गया।) चालू अन्तरण को निम्न भागों में बांटा गया है—ब्याज का भुगतान, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान, राज सहायता एवं व्यक्तिगत रूप से अन्य चालू अन्तरण जो प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत आय बढ़ाते हैं। कभी-कभी सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान सरकार के चालू राजस्व से घटा दिया जाता है परन्तु वह यहां पर भुगतान घटाए नहीं गए हैं।

मद 2.1—"ब्याज" सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज यथा लेखा-2 मद-5 में दिखलाए गए वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज के अन्तर्गत भुगतान आते हैं। रोकड़ शेष के विनियोजन पर ब्याज कुल ब्याज से घटा दिया गया है क्योंकि यह अन्तर विभागीय अथवा अन्तर खाते में अन्तरण है जो कि आर्थिक दृष्किोण से महत्वपूर्ण नहीं हैं।

मद 2.2—"अनुदान" को चार वर्गों में विभक्त किया गया है यथा—(1) स्थानीय निकायों को, (2) सरकारी संस्थाओं को, (3) शिक्षा संस्थाओं को तथा (4) अन्य संस्थाओं को। "अन्य संस्थाओं" के अन्तर्गत उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को तथा अलाभकारी संस्थाओं को दिए गए अनुदान आते हैं।

मद 2.3—"राज सहायता"—चालू खाते पर सभी अनुदानों को सम्मिलित करता है जो निजी उद्योग सरकार से प्राप्त करते हैं उनका रूप या तो उत्पादकों को सीधे भुगतान के रूप में होता है या सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों या क्रय और विक्रय के मूल्य में अन्तर के रूप में होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज सहायता उन अनुदानों को सम्मिलित करता है जो सरकार द्वारा सार्वजनिक निगमों को हानियों के क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। सार्वजनिक निगमों के समस्त चालू अन्तरण चाहे वे मूल्य स्तर को बनाए रखने अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए हों—"राज सहायता" के अन्तर्गत आते हैं। विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उन हानियों को जिनकी राज सहायता से पूर्ति नहीं हो सकती है उनको सामान्य राजकीय खाते में ऋणात्मक घाटे के रूप में अन्तरित किया जाता है। वानिकी, उद्योग, सिंचाई तथा दुग्ध सम्पूर्ति के विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा उठाई गई हानियों को राज सहायता माना गया है।

मद 2.4--"अन्य चालू अन्तरण,,--इस मद में परिवारों के खाते में किए गए भुगतान चालू अन्तरण के अन्तर्गत आते हैं जैसे विशिष्ट तथा प्रशासनीय सेवाओं हेतु पेंशन, राजनैतिक तथा प्रादेशिक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक भत्ते, छात्रवृत्तियां, अकाल पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता, पुरस्कार, भूतपूर्व शासकों को प्रिवीपर्स आदि आते हैं।

मद 3--"चालू खाते की बचत"--चालू खाते के अन्तर्गत व्यय की अपेक्षा प्राप्तियों का अधिशेष (सरप्लस) है।

मद 5--"कर राजस्व" को दो भागों-(1) "प्रत्यक्ष कर', व (2) 'अप्रत्यक्ष कर" में वर्गीकृत किया गया। "प्रत्यक्ष कर" में केन्द्रीय करों में निगम करों के अतिरिक्त राज्य का भाग, कृषि संपत्ति पर कर, भू-राजस्व तथा नगरीय भूमि कर सम्मिलित हैं। अप्रत्यक्ष कर में उत्पादों पर उनके द्वारा किए गए उत्पादन पर लगाया गया कर, क्रय-विक्रय अथवा वस्तुओं सेवाओं का उपभोग जो कि उत्पादन के खर्च में सम्मिलित होते हैं, अप्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष कर के सामान्य उदाहरण निम्न हैं--आयात, निर्यात व उत्पादन शुल्क, बिक्री-कर, मनोरंजन कर, बाजीकर (बेटिंग टैक्सेज), व्यवसाय लाइसेन्स तथा लेन-देन (स्टाम्प) कर तथा भू-संपत्ति एवं शुल्क कर।

मद 6--"संपत्ति और उद्यमों से आय"--इस मद में प्रशासन को अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से लाभ तथा भवनों अथवा अन्य संपत्तियों से प्राप्तियां, ब्याज तथा लाभांश से प्राप्त धनराशि सम्मिलित है।

मद 7--"परिवारों से अन्तरण" इस मद के अन्तर्गत वे भुगतान जो परिवारों और निजी अलाभकारी संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को नियंत्रित तथा अनिवार्य जन सेवाओं के व्यय हेतु मुख्यतः सरकारी एजेन्सीज के द्वारा लिया जाता है। सरकारी एजेन्सी द्वारा नियंत्रित तथा प्रशासनिक कार्यों और उन सेवाओं हेतु जिनके लिए कोई और प्राइवेट क्षेत्र समतुल्य उपलब्ध नहीं है के सम्बन्ध में है। ऐसी सेवाएं अधिकांश रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। क्योंकि यह अनिवार्य अधिकार के प्रयोग पर निर्भर करता है। परिवारों द्वारा इस प्रकार व्ययों के उदाहरण जन्म-मृत्यु, विवाह के लिए पंजीकरण फीस, कोर्ट फीस, जुर्माने, और दण्ड आदि हैं जो राज्य सरकार के बजट के विभिन्न राजस्व शीर्षकों के अन्तर्गत दिखलाए गए हैं।

मद 8--"राज्य अनुदान, नकदान एवं वसूलियां'--इस मद के अन्तर्गत चालू अन्तरण से प्राप्तियों जो कि संघीय सरकार तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त होती है सम्मिलित की जाती है। अन्तरण जो उत्पादन अथवा खपत को आर्थिक रूप से पोषित करने हेतु उपयोग किए जाते हैं उनको चालू अन्तरण में वर्गीकृत किया गया है।

लेखा--2

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता

5.2--यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन एवं अन्तरणों को प्रकट करता है ये प्रतिष्ठान मुख्यतः विक्रय हेतु वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगे हुए हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा सामान इत्यादि का क्रय अन्तर्वर्ती व्यय (जैसे कच्चा माल एवं ईंधन सम्बन्धी मूल्य इत्यादि) और ये प्रशासकीय विभागों द्वारा किए गए अन्तिम परिव्यय से बिल्कुल भिन्न हैं। यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभ और हानि के विवरण को प्रकट करता है। इसमें सन्तुलनकारी मद अधिशेष है जिसे लेखा-1 के प्राप्ति पक्ष को अग्रनीत किया जाता है।

आर्थिक वर्गीकरण के उद्देश्यों से निम्नलिखित को विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान माना गया है :--

(1) वन,

(2) सिंचाई,

(3) मुद्रणालय,

(4) उद्योग--

(क) सूक्ष्म उपयंत्र निर्माणशाला लखनऊ,

(ख) अन्य

(5) दुग्ध सम्पूर्ति।

इन विभागों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के व्यय को वेतन तथा मजदूरी, पेंशन, वस्तुओं और सेवाओं, किराया, मरम्मत और अनुरक्षण, ब्याज, अवमूल्यन के लिए व्यवस्था तथा ग्रहीत लाभ में वर्गीकृत किया गया है। शेष जो इन प्रतिष्ठानों का लाभ है-- राजकीय प्रशासन का वित्तीय प्रबन्ध हेतु अन्तरित कर दिया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन प्रतिष्ठानों के लेन-देन के सभी पहलुओं का प्रावधान प्रस्तुत लेखाओं में नहीं होता। आय-व्ययक में लेखा पालन का रूप वित्तीय वर्ष की अवधि में मुख्यतः वास्तविक रोकड़ प्राप्तियां तथा संवितरण प्रदर्शित करता है और भण्डारण स्थिति पर प्रकाश नहीं डालता। इसके अतिरिक्त इसमें अर्जित और देय धनराशियों का भी संकेत नहीं रहता है। इस प्रकार रोकणाधार पद्धति (कैश बेसिस सिस्टम) राजकीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का समस्त चित्रण करने में पूर्णतः समर्थ नहीं है। इसलिए इसका वास्तविक परावर्तन आय-व्ययक में तथा उसके फलस्वरूप आर्थिक वर्गीकरण में नहीं हो पाता।

लेखा—3

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण—सरकारी प्रशासन और विभागी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.3—यह लेखा शेष अर्थ व्यवस्था में निजी निर्माण सहित सरकारी प्रशासन तथा विभागी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुगत परिसम्पत्तियों (फिजिकल ऐसेट्स) के निर्माण को व्यक्त करने वाले कुल पूंजी परिव्यय से सम्बन्धित है। पूंजी निर्माण पर सम्पूर्ण परिव्यय राष्ट्रीय उत्पत्ति पर एक भार है जिसको वहन करने के लिए सरकार को साधनों की राज अपनी बचत अथवा निजी बचतों से आहरण द्वारा करनी पड़ती है। इनमें संतुलनकारी मद घाटा प्रकट करती है जिसको ऋण लेकर अथवा रोकड़ बाकी के उत्सारण से पूरा करना होता है।

मद 1—"सकल पूंजी निर्माण"—सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत दो भागों में विभक्त किया गया है :—

(1) भवन तथा अन्य निर्माण कार्य

(2) मशीन एवं उपकरण

प्रत्येक विभाग को निम्न उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है—

(क) नया परिव्यय

(ख) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन

मद 1.1 (क) व 1.4 (क)—इन मदों में भवन निर्माण कार्यों, आवास कार्यालयों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भवनों के मूल निर्माण-कार्य दिखलाये गये हैं।

1.1 (ख) व 1.4 (ख)—इन मदों के अन्तर्गत परिवहन एवं संचार विद्युत् शक्ति एवं सिंचाई, बांध एवं जल निकास, जल-पूर्ति एवं सफाई, भूमि सुधार एवं वृक्षारोपण के लिये अन्य निर्माण-कार्यों पर सम्पूर्ण व्यय सम्मिलित है।

पूंजी निर्माणगत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्रदत्त मजदूरी और वेतन एवं इस प्रकार की परियोजना के सम्बन्ध में वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय निर्माण की लागत का ही अंशमान कर तदनुसार लेखा–3के अन्तर्गत दिखाया गया है। व्यय भवन अथवा अन्य निर्माण कार्यों के अनुपात में बांट दिये गये हैं।

मद 1.2 व 1.5—"मशीनें और उपकरणों" में मशीनों एवं उपकरण, उपस्कर एवं सरोप (फर्नीचर एण्ड फिक्सचर) व साधित्र (अपरेटस) औजार एवं संयंत्र (टूल्स एण्ड प्लान्ट्स) और वाहन समाविष्ट है।

मद 1.3 व 1.6—"तालिकागत समान में वृद्धि (इनक्रीज इन-इनवेन्ट्रीज)—"(1) निर्माण सम्बन्धी सामान और (2) अन्न, उर्वरकों इत्यादि भण्डार की शुद्ध वृद्धि अथवा ह्रास दिखाया गया है।

मद 2—"पूंजी अन्तरण" में स्थानीय निकायों तथा औरों को पूंजी निर्माण के लिये अनुदान दाहरणार्थ पुनर्ग्रहीत भूमियों (रिज्यूम्ड लैण्ड्स) के बदले में पेंशन, वक्फी, तथा न्यासी (ट्रस्ट) को देय वार्षिक वृत्तियां, अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन प्रतिकर इत्यादि सम्मिलित है।

मद 4 व 5—"पूंजी निर्माण" हेतु उपलब्ध प्राप्तियों में लेखा–1व 2 से अग्रनीत चालू खाते पर कुल बचत, सम्पदा शुल्क, जायदादों की बिक्री तथा केन्द्रीय सरकार से पूंजीगत अनुदान एवं वसूलियां सम्मिलित है। सम्पदा शुल्क को इस धारणा पर कि यह पूंजी देय है, इस लेखा में शामिल किया गया है।

लेखा—4

वित्तीय परिसम्पत्ति में परिवर्तन

सरकारी प्राशसन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.4—यह लेखा राजकीय वित्तीय परिसम्पत्तियों में वास्तविक परिवर्तन प्रकट करता है। इसमें औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में वित्तीय निवेशों का लेन-देन (अर्थात् शेयरों में लगाई गयी पूंजी) और शेष अर्थ व्यवस्था के लिए स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम धनराशि सम्मिलित है। पूंजी निर्माण के लिये ऋण राज्य सरकार द्वारा शेष अर्थ-व्यवस्था में पूंजी निर्माण की प्रोन्नति के लिये प्रयासों का द्योतक है। खाते में सन्तुलनकारी मद घाटा है जिसकी लेखा–3 में घाटे में जोड़ने से सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता ज्ञात होती है। इसकी पूर्ति ऋण लेकर अथवा राजकीय रोकड़ बाकी में समायोजन द्वारा होता है।

मद 1—"निवेशों में" राजकीय तथा निजी वाणिज्यिक उपक्रमों और वस्तुगत एवं परिसम्पत्तियों में लगाई गई धनराशि आती है।

मद 2.1--"पूंजी निर्माण के लिये ऋण एवं अग्रिमों" से पूंजीगत परिसम्पत्तियों जैसे सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, औद्योगिक गृह निर्माण योजनाओं, जलकलों इत्यादि के लिये ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

मद 2.2--"अन्य प्रयोजनों हेतु ऋणों" में चालू खपत के लिये कृषक को ऋण, मकानों की मरम्मत के लिये ऋण, छात्रों को ऋण, सवारियों के क्रय हेतु अग्रिम तथा ऋण सम्मिलित हैं।

लेखा--5

वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.5--यह लेखा राजकीय दायित्वों को चित्रित करता है। आमदनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में वृद्धि तथा खर्च से दायित्वों में कमी का ज्ञान होता है। खर्च के ऊपर आमदनी का अतिरेक, वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यह वृद्धि भौतिक तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु अतिरिक्त व्यय के कारण होती है। लेखा-3 व 4 से उत्पन्न घाटे की वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा ओढे गये दायित्वों में परिवर्तन करने तथा रोकड़ बाकी यदि कोई हो, के उपयोग से भी की जाती है।

इन घाटों की पूर्ति विभिन्न विभागीय निधियों (फण्ड्स) एवं निक्षेपों (डिपाजिट्स) से तथा शेष अर्थ-व्यवस्था से खींचकर की जाती है।

इस लेखा में स्थायी ऋणों, केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अन्य ऋणों के कुल रूप में अल्पकालिक ऋण (फ्लोटिंग डेट्स), अनिधिबद्ध ऋण (अनफण्डेड डेट्स), अन्य निक्षेपों, ऋणों और विप्रेषित राशियों (रेमीटेन्सेज) को शुद्ध रूप में दिखाया जाता है।

लेखा--6

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता

5.6--यह लेखा राज्य सरकार के सभी लेन-देनों का उनके रोकड़ स्थित पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट करते हुये लेखा-3, 4 व 5 के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का संक्षेपण करता है। लेखा-3 वस्तुओं और सेवाओं तथा अन्तरणों के सभी (वास्तविक) लेना-देनों के सम्बन्ध में यथार्थ स्थिति बताता है तो लेखा 4 व 5 क्रमशः वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति को प्रकट करते हैं।

भाग—2

कार्य सम्बधी वर्गीकरण

अध्याय—6

(I) आर्थिक एवं कार्य संबंधी वर्गीकरण

6.1—इस अध्याय में आर्थिक दृष्टिकोण एवं कार्य के आधार पर राज्य सरकार के व्ययों को दो विभिन्न वर्गीकरणों को एक ही अन्त: वर्गीकरण आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी में संयुक्त कर प्रस्तुत किया गया है। यह संयुक्त वर्गीकरण बताता है कि किस प्रकार किसी विशेष प्रयोजन–जैसे कृषि के लिए व्यय की आर्थिक वर्गों अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय, पूंजी निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के अन्तरणों और ऋणों में विभाजित किया जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किस प्रकार किसी विशेष आर्थिक वर्ग जैसे पूंजी निर्माण के लिए व्यय की विभिन्न प्रयोजनों अथवा सरकार द्वारा व्यवस्थित सेवाओं के अनुसार वितरित किया गया है। राजकीय आय-व्ययक सम्बन्धी व्ययों का ऐसा अन्त: वर्गीकरण कई वर्षों की अवधि के कार्यक्रम को चित्रित करने तथा वास्तविक व्यय की प्रगति का मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अर्थ-व्यवस्था के सम्पूर्ण राजकीय खण्ड पर लागू करने से आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण की सूचनात्मक उपयोगिता पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है।

(II) कार्य संबंधी वर्गीकरण के सिद्धान्त

6.2—लेखापालन के उद्देश्य से धनराशि को खर्च करते समय व्यय के तात्कालिक मद जैसे मजदूरी और वेतन, वस्तुएं और सेवाएं, अन्य निकायों को अनुदान, ऋण इत्यादि के अनुसार व्यय को नियत किया जाता है। आर्थिक वर्गीकरण में व्यय के इन प्राथमिक मदों को उसकी आर्थिक प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करता है। इसी प्रकार कार्य के आधार पर वर्गीकरण इन मदों के द्वारा प्रतिपादित विशेष उद्देश्य के अनुसार उसका गठन करता है। कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण का ध्येय तात्कालिक अथवा अल्प-कालिक उद्देश्यों से की गई सेवाओं के अनुसार राजकीय व्यय को प्रकट करता है जो विशेष प्रकार की सेवाओं पर किए गए सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध में जानकारी कराता है।

6.3—कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण में विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (कामर्शियल अण्डरटेकिंग्स) के चालू व्यय सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्यों कि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय अधिकांश राजकीय खण्ड (गवर्नमेन्ट सेक्टर) से बाहर किया जाता है। इन प्रतिष्ठानों में वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय एक अन्तर्वर्ती व्यय (इण्टरमीडिएट एक्सपेण्डीचर) है जो उत्पादक व्यय का द्योतक है न कि सरकार द्वारा व्यवस्थित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय का है। कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण में सामान्यता प्राप्तियां सम्मिलित नहीं है, केवल वे प्राप्तियां ही सम्मिलित हैं जो किसी वस्तु और सेवाओं पर व्यय को उस सीमा तक कम कर देती है। इनके उदाहरण है विक्रय से प्राप्तियां अथवा इसी प्रकार की वसूलियां, अन्य सभी प्राप्तियां जिनमें कर तथा ऋण सम्मिलित है, सामान्य संहत निधि के अंश समझे जाते हैं और उनमें से सभी प्रकार के व्ययों की व्यवस्था की जाती है।

6.4—आय-व्ययक में दिए गए वर्गीकरण का पूर्णतया अनुसरण न करते हुए व्यय की सम्पूर्ण मदों को कार्य के आधार पर व्यापक वर्गों में वर्ग बद्ध किया गया है। इस प्रकार कार्य-सम्बन्धी वर्गीकरण में शिक्षा पर सभी व्यय को शिक्षा उप-शीर्षक के अन्तर्गत ही रखा गया है। आय-व्ययक में यह चाहे कहीं भी दिखाया गया हो। इस सिद्धान्त का अपवाद वे शिक्षा सम्बन्धी कार्य-कलाप, जो सरकार की अन्य सेवाओं के अभिन्न अंग हैं, जैसे "पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय", पुलिस शीर्षक में तथा "बाल सुधार विद्यालय", कारागार शीर्षक के अन्तर्गत रखे गए हैं। पुन: आय-व्ययक के कुछ शीर्षक जैसे सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, प्रकीर्ण सेवाएं, सामान्य सेवाएं, प्रकीर्ण सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन, सार्वजनिक निर्माण-कार्य, ऋण इत्यादि के अन्तर्गत व्ययों को विभाजित करके कार्य के आधार पर वर्गीकरण के उचित शीर्षकों के अन्तर्गतस्थानान्तरित कर दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान में सम्बन्धित व्ययों का सम्बन्धित कार्यभार शीर्षकों में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के किए गए कार्यों पर व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है।

6.5—उपरोक्त दृष्टिकोण से व्यय की विभिन्न मदों को कार्य के आधार पर मुख्यत: निम्न नौ वर्गों में बांटा गया है :—

(1) सामान्य सेवाएं	(4) स्वास्थ्य	(7) सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाएं
(2) सुरक्षा	(5) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाएं	(8) आर्थिक सेवाएं
(3) शिक्षा	(6) आवास पर सामुदायिक सेवाएं	(9) अन्य सेवाएं

इन सेवाओं की विषय-वस्तु का उल्लेख अध्याय–7 में किया गया है :—

(III) सारणी

6.6—सारणी 6.1, 6.2 तथा 6.3 में उत्तर प्रदेश के क्रमश: वर्ष 1991–92 (वास्तविक), 1992–93 (पुनरीक्षित) तथा 1993–94 (आय-व्ययक) के लिए व्यय का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। इन सारिणियों में व्यय की आर्थिक एवं कार्य दोनों दृष्टिकोण के साथ-साथ वर्गीकृत किया गया है। कार्य वर्गीकरण के मुख्य नौ भाग है, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। आर्थिक वर्गीकरण के व्यापक वर्ग, चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय है। कुल व्यय में वित्तीय परिसम्पत्ति में लगाई गई पूंजी तथा सार्वजनिक ऋण की अदायगियां भी शामिल है, दूसरा तरीका यह हो सकता था कि कुल व्यय में सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां को शामिल न किया जाता और वित्तीय निवेशों का शुद्ध रूप में प्रकट किया जाता। क्योंकि हमें सार्वजनिक ऋणों की अदायगियों के साथ-साथ दिए गए ऋण के परिणाम जानने की आवश्यकता रहती है इसलिए इन मदों को कुल व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है।

6.7—सारणी 6.4 व 6.6 में क्रमश: आर्थिक वर्गो तथा कार्य सम्बन्धी वर्गों के कुल व्यय के वितरण तथा 6.5 व 6.7 में क्रमश: उनके प्रतिशत वितरण की स्थिति प्रस्तुत की गई है। सारणी 6.8 में विकासगत तथा अविकासगत व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6.8—आगे के पृष्ठों पर सारणी दी गई है।

सारिणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

कार्य सम्बन्धी / वर्गीकरण	आर्थिक वर्गीकरण	खपत सम्बन्धी चालू व्यय	घटाएं (–) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	चालू व्यय: परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	चालू व्यय: स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिए अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1–सामान्य सेवाएं	150214	2870	147344	–	–	33103	17636	198083	
1.1–सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	149960	2870	147090	–	–	32955	17636	197681	
1.1.1–सामान्य प्रशासन	20817	1076	19741	–	–	618	–	20359	
1.1.2–करों की उगाही का व्यय	18918	118	18800	–	–	2	–	18802	
1.1.3–न्याय	9572	450	9122	–	–	–	–	9122	
1.1.4–कारागार	3830	175	3655	–	–	6	–	3661	
1.1.5–पुलिस	73540	876	72664	–	–	544	–	73208	
1.1.6–अन्य सामान्य सेवाएं	23283	175	23108	–	–	31785	17636	72529	
1.2–सामान्य शोध	254	–	254	–	–	148	–	402	
2–सुरक्षा	4140	10	4130	–	–	261	–	4391	
3–शिक्षा	30941	3447	27494	–	–	188510	–	216004	
3.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	6885	–	6885	–	–	10309	–	17194	
3.2–स्कूलों, विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं	24056	3447	20609	–	–	178201	–	198810	
4–स्वास्थ्य	41950	1439	40511	–	–	1676	1	42188	
4.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	2077	–	2077	–	–	12	–	2089	
4.2–अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं	39873	1439	38434	–	–	1664	1	40099	
5–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाएं	28639	2085	26554	–	–	16955	32	43541	
5.1–समाज कल्याण सेवाएं	28123	2085	26038	–	–	11725	32	37795	
5.2–समाज सुरक्षा सेवाएं	516	–	516	–	–	5230	–	5746	
6–आवास एवं सामुदायिक सेवाएं	14397	104	14293	–	–	4545	279	19117	
7–सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाएं	2822	85	2737	–	–	1004	–	3741	
8–आर्थिक सेवाएं	69368	5430	63938	–	77146	31545	1757	174386	
8.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	6166	90	6076	–	–	32	–	6108	
8.2–कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	31893	2486	29407	–	71530	8695	–	109632	
8.3–खनिज, उद्योग एवं निर्माण	3125	2363	762	–	5616	385	1	6764	
8.4–विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	1492	98	1394	–	–	17972	–	19366	
8.5–परमाणविक ऊर्जा	–	–	–	–	–	–	–	–	
8.6–परिवहन एवं संचार	24099	11	24088	–	–	2	1756	25846	
8.7–अन्य आर्थिक सेवाएं	2593	382	2211	–	–	4459	–	6670	
9–अन्य सेवाएं	1281	–	1281	144826	–	2287	–	148394	
9.1–विपदा सहायता	1277	–	1277	–	–	2283	–	3560	
9.2–अन्य विविध कार्य	4	–	4	144826	–	4	–	144834	
योग	343752	15470	328282	144826	77146	279886	19705	849845	

—6.1

1991–92 (वास्तविक व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण			पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम			कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीनें एवं उपकरण	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को	पूंजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4318	2730	396	2662	40	-	-	-	-	10146	208229
4287	2678	396	2562	40	-	-	-	-	9963	207644
1176	241	396	-	40	-	-	-	-	1853	22212
154	62	-	-	-	-	-	-	-	216	19018
1181	24	-	-	-	-	-	-	-	1205	10327
871	36	-	-	-	-	-	-	-	907	4568
791	2127	-	-	-	-	-	-	-	2918	76126
114	188	-	2562	-	-	-	-	-	2864	75393
31	52	-	100	-	-	-	-	-	183	585
83	39	-	-	-	-	-	-	-	122	4513
4955	870	-	-	3264	-	-	2	-	9091	225095
52	47	-	-	-	-	-	-	-	99	17293
4903	823	-	-	3264	-	-	2	-	8992	207802
4878	115	-	-	-	-	-	-	-	4993	47181
2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2092
4876	114	-	-	-	-	-	-	-	4990	45089
2013	292	-	-	230	1370	-	237	-	4142	47683
2013	290	-	-	230	1370	-	237	-	4140	41935
..	2	-	-	-	-	-	-	-	2	5748
31638	34	-	3287	7271	100	2931	2567	-	47828	66945
1194	24	-	-	64	-	-	237	-	1519	5260
75894	(-)534	(-)9498	1533	23351	9326	636	150537	-	251245	425631
77	471	-	-	-	10	-	-	-	558	6666
36325	(-)1382	(-)854	-	16642	676	-	7642	-	59049	168681
(-)24	71	-	-	877	7172	-	8480	-	16576	23340
549	-	-	-	2103	-	636	131735	-	135023	154389
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38947	303	1835	1533	3709	-	-	556	-	46883	72729
20	3	(-)10479	-	20	1468	-	2124	-	(-)6844	(-)174
-	-	-	-	-	-	-	1376	58101	59477	207871
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3561
-	-	-	-	-	-	-	1375	58101	59476	204310
124973	3570	(-)9102	7482	34220	10796	3567	154956	58101	388563	1238408

सारिणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

कार्य सम्बन्धी/ वर्गीकरण	आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
		खपत सम्बन्धी चालू व्यय	घटाएं (–) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों की चालू कार्य संचालन के लिए अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1–सामान्य सेवायें	156341	2707	153634	–	–	46907	22113	222654	
1.1–सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	156028	2699	153329	–	–	46377	22113	221819	
1.1.1–सामान्य प्रशासन	18934	884	18050	–	–	422	–	18472	
1.1.2–करों की उगाही का व्यय	17899	343	17556	–	–	6	–	17562	
1.1.3–न्याय	10782	190	10592	–	–	–	–	10592	
1.1.4–कारागार	3849	406	3443	–	–	6	–	3449	
1.1.5–पुलिस	82175	855	81320	–	–	86	–	81406	
1.1.6–अन्य सामान्य सेवायें	22889	21	22368	–	–	45857	22113	90338	
1.2–सामान्य शोध	313	8	305	–	–	530	–	835	
2–सुरक्षा	4599	1	4598	–	–	470	–	5068	
3–शिक्षा	30895	4450	26445	–	–	219584	–	246029	
3.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	6772	–	6772	–	–	837	–	7609	
3.2–स्कूलों, विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं	24123	4450	19673	–	–	218747	–	238420	
4–स्वास्थ्य	48850	215	48635	–	–	2855	5	51495	
4.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	2597	–	2597	–	–	3	–	2600	
4.2–अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं	46253	215	46038	–	–	2852	5	48895	
5–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाएं	30662	38	30624	–	–	17437	15	48076	
5.1–समाज कल्याण सेवाएं	30178	38	30140	–	–	11953	15	42108	
5.2–समाज सुरक्षा सेवाएं	484	–	484	–	–	5484	–	5968	
6–आवास एवं सामुदायिक सेवाएं	14521	51	14470	–	–	2899	434	17803	
7–सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाएं	2876	15	2861	–	–	735	–	3596	
8–आर्थिक सेवाएं	60876	5871	55005	–	80583	43321	2236	181145	
8.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	6000	261	5739	–	–	34	–	5773	
8.2–कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	31812	2107	29705	–	71105	11640	–	112450	
8.3–खनिज, उद्योग एवं निर्माण	4041	2897	1144	–	4192	2830	–	8166	
8.4–विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	684	150	534	–	5286	18709	–	24529	
8.5–परमाणविक ऊर्जा	–	–	–	–	–	–	–	–	
8.6–परिवहन एवं संचार	15489	30	15459	–	–	2	2236	17697	
8.7–अन्य आर्थिक सेवाएं	2850	426	2424	–	–	10106	–	12530	
9–अन्य सेवाएं	994	–	994	177173	–	8174	–	186341	
9.1–विपदा सहायता	989	–	989	–	–	8151	–	9140	
9.2–अन्य विविध कार्य	5	–	5	177173	–	23	–	177201	
योग	350614	13348	337266	177173	80583	342382	24803	962207	

—6.2

1992-93 (पुनरीक्षित अनुमान)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत परिव्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण		स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	पूंजी अन्तरण		पूंजी शेयरों में निवेश	ऋण और अग्रिम		सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीन एवं उपकरण		स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को		स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4944	5340	–	2909	–	–	–	–	–	13193	235847
4889	5296	–	2909	–	–	–	–	–	13094	234913
1489	260	–	–	–	–	–	–	–	1749	20221
209	124	–	–	–	–	–	–	–	333	17896
872	69	–	–	–	–	–	–	–	941	11533
590	84	–	–	–	–	–	–	–	674	4123
1604	4371	–	–	–	–	–	–	–	5975	87381
125	388	–	2909	–	–	–	–	–	3422	93760
55	44	–	–	–	–	–	–	–	99	484
40	7	–	–	–	–	–	–	–	47	5115
4997	1069	–	–	2041	–	–	30	–	8137	254166
53	63	–	–	–	–	–	–	–	116	7725
4944	1006	–	–	2041	–	–	30	–	8021	246441
4998	432	–	–	–	–	–	–	–	5430	56925
2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2602
4996	432	–	–	–	–	–	–	–	5428	54323
980	143	–	–	788	102	–	210	–	2223	50299
980	143	–	–	788	02	–	210	–	2223	44331
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5968
45293	135	–	2791	7888	20	4023	5058	–	65208	83011
1486	39	–	–	3	104	–	992	–	2624	6220
113641	3724	(–)2639	1740	19122	23417	289	152188	–	311482	492627
329	555	–	–	–	29	–	25	–	938	6711
55631	2516	101	–	15198	1017	–	12433	–	86936	199386
307	48	–	–	850	21089	–	12270	–	34564	42730
533	–	–	–	2752	–	289	125045	–	128619	153148
..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56841	605	400	1740	303	–	–	868	–	60757	78454
–	–	(–)3140	–	19	1212	–	1547	–	(–)332	12198
..	(–)1	–	–	1	–	–	–	70853	70853	257194
–	(–)1	–	–	–	–	–	–	–	(–)1	9139
–	–	–	–	1	–	–	–	70853	70854	248055
176379	10888	(–)2639	7440	29843	23643	4312	158478	70853	479197	1441404

कार्य सम्बन्धी/ आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बन्धी चालू व्यय	घटाएं (–) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों की चालू कार्य संचालन के लिए अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1–सामान्य सेवाएं	186510	3543	182967	–	–	46529	21490	250986
1.1–सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	186138	3534	182604	–	–	45907	21490	250001
1.1.1–सामान्य प्रशासन	19874	1481	18393	–	–	96	–	18489
1.1.2–करों की उगाही का व्यय	21071	343	20728	–	–	6	–	20734
1.1.3–न्याय	12202	194	12008	–	–	–	–	12008
1.1.4–कारागार	4174	501	3673	–	–	6	–	3679
1.1.5–पुलिस	103134	6	103128	–	–	84	–	103212
1.1.6–अन्य सामान्य सेवायें	25683	1009	24674	–	–	45715	21490	91879
1.2–सामान्य शोध	372	9	363	–	–	622	–	985
2–सुरक्षा	5261	1	5260	–	–	551	–	5811
3–शिक्षा	37102	4504	32598	–	–	281708	–	314306
3.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	7844	–	7844	–	–	977	–	8821
3.2–स्कूलों, विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं	29258	4504	24754	–	–	280731	–	305485
4–स्वास्थ्य	56357	235	56122	–	–	1506	5	57633
4.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	3149	–	3149	–	–	3	–	3152
4.2–अस्पतालों, दवाखानों, एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं	53208	235	52973	–	–	1503	5	54481
5–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाएं	34022	39	33983	–	–	21448	16	55447
5.1–समाज कल्याण सेवाएं	33502	39	33463	–	–	16000	16	49479
5.2–समाज सुरक्षा सेवाएं	520	–	520	–	–	5448	–	5968
6–आवास एव सामुदायिक सेवाए	18509	59	18450	–	–	2410	503	21363
7–सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाएं	3493	15	3478	–	–	574	–	4052
8–आर्थिक सेवाएं	70393	6155	64238	–	80090	29783	1804	175915
8.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	7418	268	7150	–	–	34	–	7184
8.2–कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	38728	2216	36512	–	74461	11253	–	122226
8.3–खनिज, उद्योग एवं निर्माण	4254	3052	1202	–	5629	266	–	7097
8.4–विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	774	150	624	–	–	17288	–	17912
8.5–परमाणविक ऊर्जा	–	–	–	–	–	–	–	–
8.6–परिवहन एवं संचार	15782	30	15752	–	–	2	1804	17558
8.7–अन्य आर्थिक सेवाएं	3437	439	2998	–	–	940	–	3938
9–अन्य सेवाएं	573	–	573	214049	–	4124	–	218746
9.1–विपदा सहायता	567	–	567	–	–	4101	–	4688
9.2–अन्य विभिन्न कार्य	6	–	6	214049	–	23	–	214078
योग	412220	14551	397669	214049	80090	388633	23818	1104259

—6.3

1993–94 (आय-व्ययक अनुमानित व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत परिव्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण		स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	पूंजी अन्तरण		पूंजी शेयरों में निवेश	ऋण और अग्रिम		सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (8+19)
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीन एवं उपकरण		स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को		स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4816	2172	–	3005	–	–	–	–	–	9993	260979
4729	2147	–	3005	–	–	–	–	–	9881	259882
2820	102	–	–	–	–	–	–	–	2922	21411
10	59	–	–	–	–	–	–	–	69	20803
600	2	–	–	–	–	–	–	–	602	12610
588	12	–	–	–	–	–	–	–	600	4279
476	1888	–	–	–	–	–	–	–	2364	105576
235	84	–	3005	–	–	–	–	–	3324	95203
87	25	–	–	–	–	–	–	–	112	1097
1	7	–	–	–	–	–	–	–	8	5819
4253	947	–	–	1425	–	–	30	–	6655	320961
46	77	–	–	–	–	–	–	–	123	8944
4207	870	–	–	1425	–	–	30	–	6532	312017
5363	358	–	–	–	–	–	–	–	5721	63354
2	23	–	–	–	–	–	–	–	25	3177
5361	335	–	–	–	–	–	–	–	5696	60177
887	150	–	–	794	10	–	–	–	1841	57288
887	150	–	–	794	10	–	–	–	1841	51320
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5968
42761	217	–	2467	8052	50	4826	6017	–	64390	85753
1480	13	–	–	2	–	–	–	–	1495	5547
114549	3813	772	1717	17479	6585	–	146280	–	291195	467110
79	1211	–	–	8	35	–	25	–	1358	8542
53868	2017	281	–	14090	1023	–	15315	–	86594	208820
735	28	–	–	405	5540	–	14176	–	20884	27981
473	–	–	–	2962	–	–	114150	–	117585	135497
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59394	557	400	1717	2	–	–	770	–	62840	80398
–	–	91	–	12	(–)13	–	1844	–	1934	5872
–	(–)1	–	–	1	–	–	–	75794	75794	294540
–	(–)1	–	–	–	–	–	–	–	(–)1	4667
–	–	–	–	1	–	–	–	75794	75795	289873
174110	7676	772	7189	27753	6645	4826	152327	75794	457092	1561351

सारणी—6.4

आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनुमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–94
1	2	3	4
1—चालू व्यय	849845	962207	1104259
1.1—खपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय	328282	337266	397669
1.2—साधारण ऋण पर ब्याज	144826	177173	214049
1.3—राज सहायता	77146	80583	80090
1.4—परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	279886	342382	388633
1.5—स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिए अन्तरण	19705	24803	23818
2—पूंजीगत व्यय	388563	479197	457092
2.1—कुल स्थिर पूंजी निर्माण	128543	187267	181786
2.1.1—भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य ..	124973	176379	174110
2.1.2—मशीन एवं उपकरण ..	3570	10888	7676
2.2—स्टाकों में शुद्ध वृद्धि ..	(–)9102	(–)2639	772
2.3—पूंजीगत अन्तरण	41702	37283	34942
2.3.1—स्थानीय निकायों को ..	7482	7440	7189
2.3.2—अन्य सेक्टरों को ..	34220	29843	27753
2.4—पूंजी शेयरों में निवेश	10796	23643	6645
2.5—ऋण एवं अग्रिम	158523	162790	157153
2.5.1—स्थानीय निकायों को ..	3567	4312	4826
2.5.2—अन्य सेक्टरों को ..	154956	158478	152327
2.6—सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां ..	58101	70853	75794
कुल योग ..	1238408	1441404	1561351

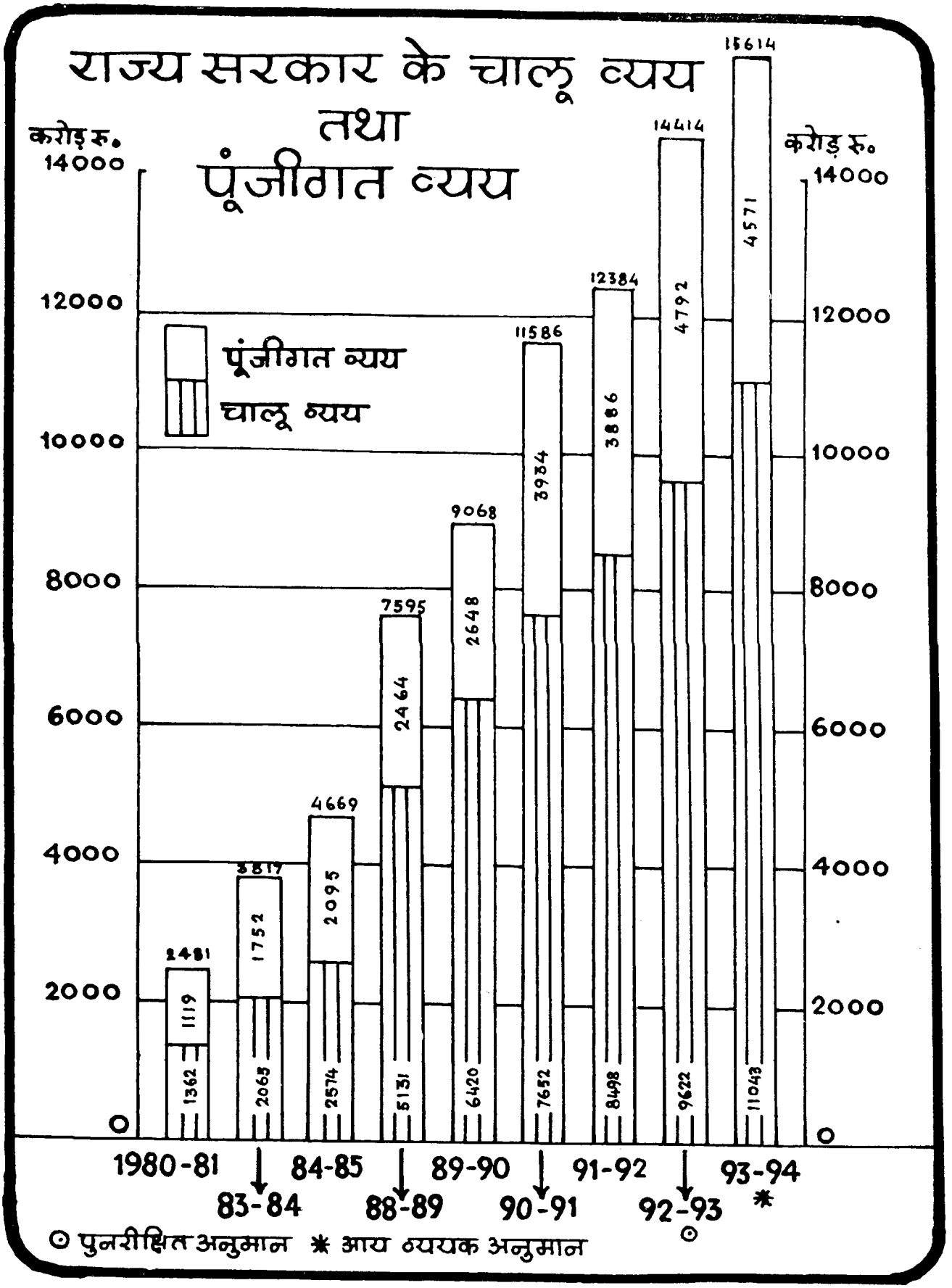
राज्य सरकार के चालू व्यय
तथा
पूंजीगत व्यय
करोड़ रु.
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
पूंजीगत व्यय
चालू व्यय
2481
1119
1362
3817
1752
2065
4669
2095
2574
7595
2464
5131
9068
2648
6420
11586
3934
7652
12384
3886
8498
14414
4792
9622
15614
4571
11043
1980-81
84-85
89-90
91-92
93-94
83-84
88-89
90-91
92-93
⊙ पुनरीक्षित अनुमान * आय व्ययक अनुमान

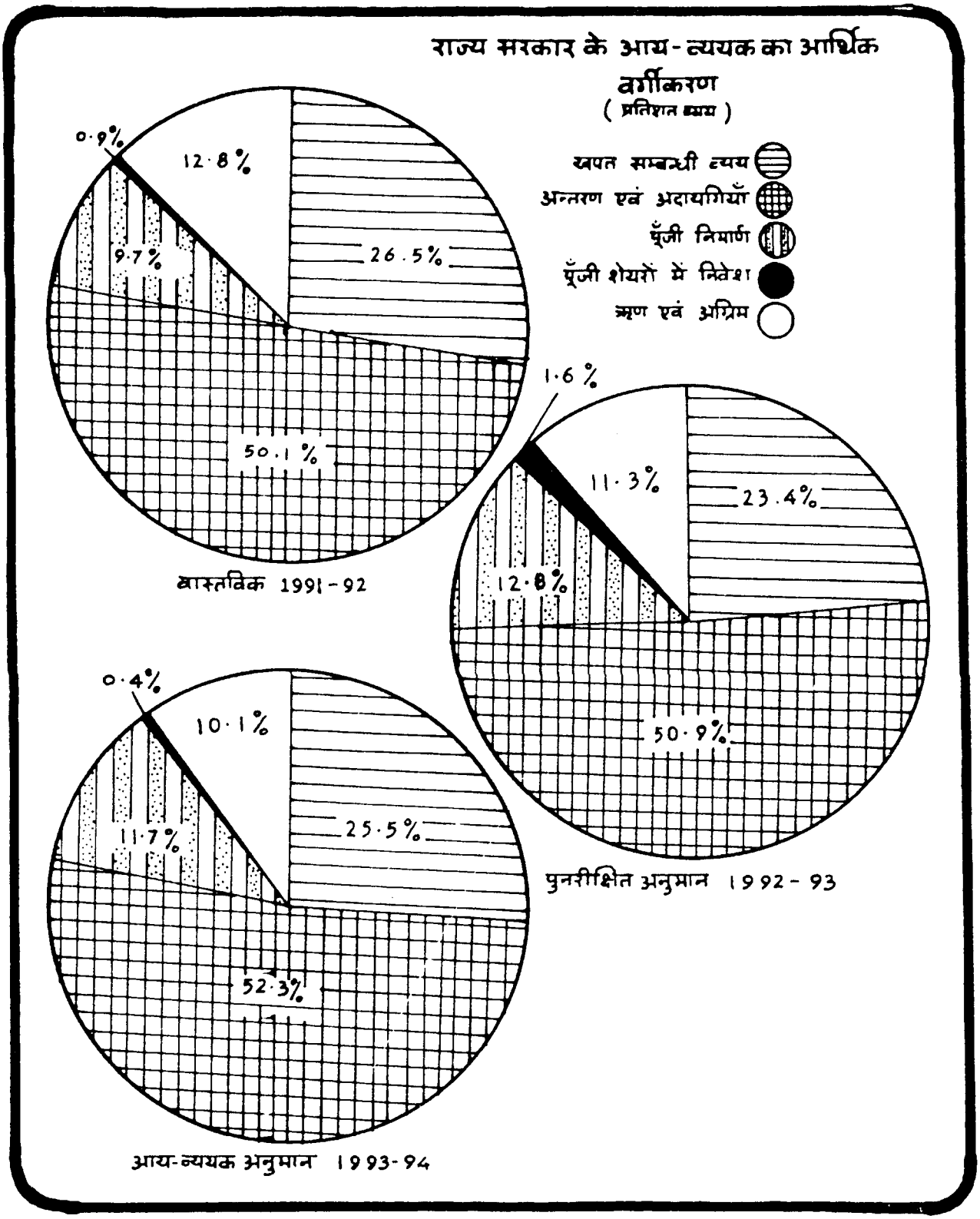
राज्य सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण
(प्रतिशत व्यय)
खपत सम्बन्धी व्यय
अन्तरण एवं अदायगियाँ
पूँजी निर्माण
पूँजी शेयरों में निवेश
ऋण एवं अग्रिम
0·9%
12·8%
9·7%
26.5%
50.1%
वास्तविक 1991-92
1·6%
11·3%
23.4%
12·8%
50·9%
पुनरीक्षित अनुमान 1992-93
0·4%
10·1%
11·7%
25·5%
52·3%
आय-व्ययक अनुमान 1993-94

सारणी—6.5

आर्थिक वर्गीकरण—प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

आर्थिक वर्गीकरण	वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनुमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–94
1	2	3	4
1—चालू व्यय	68.6	66.8	70.7
1.1—खपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय	26.5	23.4	25.5
1.2—साधारण ऋण पर ब्याज	11.7	12.3	13.7
1.3—राज सहायताएं	6.2	5.6	5.1
1.4—परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	22.6	23.8	24.9
1.5—स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिए अन्तरण	1.6	1.7	1.5
2—पूंजीगत व्यय	31.4	33.2	29.3
2.1—कुल स्थिर पूंजी निर्माण	10.4	13.0	11.6
2.1.1—भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य ..	10.1	12.2	11.2
2.1.2—मशीनें एवं उपकरण ..	0.3	0.8	0.4
2.2—स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	(–)0.7	(–)0.2	0.1
2.3—पूंजीगत अन्तरण	3.3	2.6	2.2
2.3.1—स्थानीय निकायों को ..	0.6	0.5	0.4
2.3.2—अन्य सेक्टरों को ..	2.7	2.1	1.8
2.4—पूंजी शेयरों में निवेश	0.9	1.6	0.4
2.5—ऋण एवं अग्रिम	12.8	11.3	10.1
2.5.1—स्थानीय निकायों को ..	0.3	0.3	0.3
2.5.2—अन्य सेक्टरों को ..	12.5	11.0	9.8
2.6—सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां ..	4.7	4.9	4.9
कुल योग ..	100.0	100.0	100.0

सारणी—6.6

आयव्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनुमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–94
1	2	3	4
1—सामान्य सेवाएं	208229	235847	260979
1.1—सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	207644	234913	259882
1.1.1—सामान्य प्रशासन ..	22212	20221	21411
1.1.2—करों की उगाही का व्यय ..	19018	17895	20803
1.1.3—न्याय	10327	11533	12610
1.1.4—कारागार ..	4568	4123	4279
1.1.5—पुलिस	76126	87381	105576
1.1.6—अन्य सामान्य सेवाएं	75393	93760	95203
1.2 सामान्य शोध ..	585	934	1097
2—सुरक्षा	4513	5115	5819
3—शिक्षा	225095	254166	320961
3.1—सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध ..	17293	7725	8944
3.2—स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं	207802	246441	312017
4—स्वास्थ्य	47181	56925	63354
4.1—सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध ..	2092	2602	3177
4.2—अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं	45089	54323	60177
5—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाएं ..	47683	50299	57288
5.1—समाज कल्याण सेवाएं	41935	44331	51320
5.2—समाज सुरक्षा सेवाएं	5748	5968	5968
6—आवास एवं सामुदायिक सेवाएं	66945	83011	85753
7—सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाएं	5260	6220	5547
8—आर्थिक सेवाएं	425631	492627	467110
8.1—सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध ..	6666	6711	8542
8.2—कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार ..	168681	199386	208820
8.3—खनिज, उद्योग एवं निर्माण	23340	42730	27981
8.4—विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	154389	153148	135497
8.5—परमाणविक ऊर्जा	—	—	—
8.6—परिवहन एवं संचार	72729	78454	80398
8.7—अन्य आर्थिक सेवाएं	(—)174	12198	5872
9—अन्य सेवाएं	207871	257194	294540
9.1—विपदा सहायता	3561	9139	4667
9.2—अन्य विविध कार्य ..	204310	248055	289873
कुल योग ..	1238408	1441404	1561351

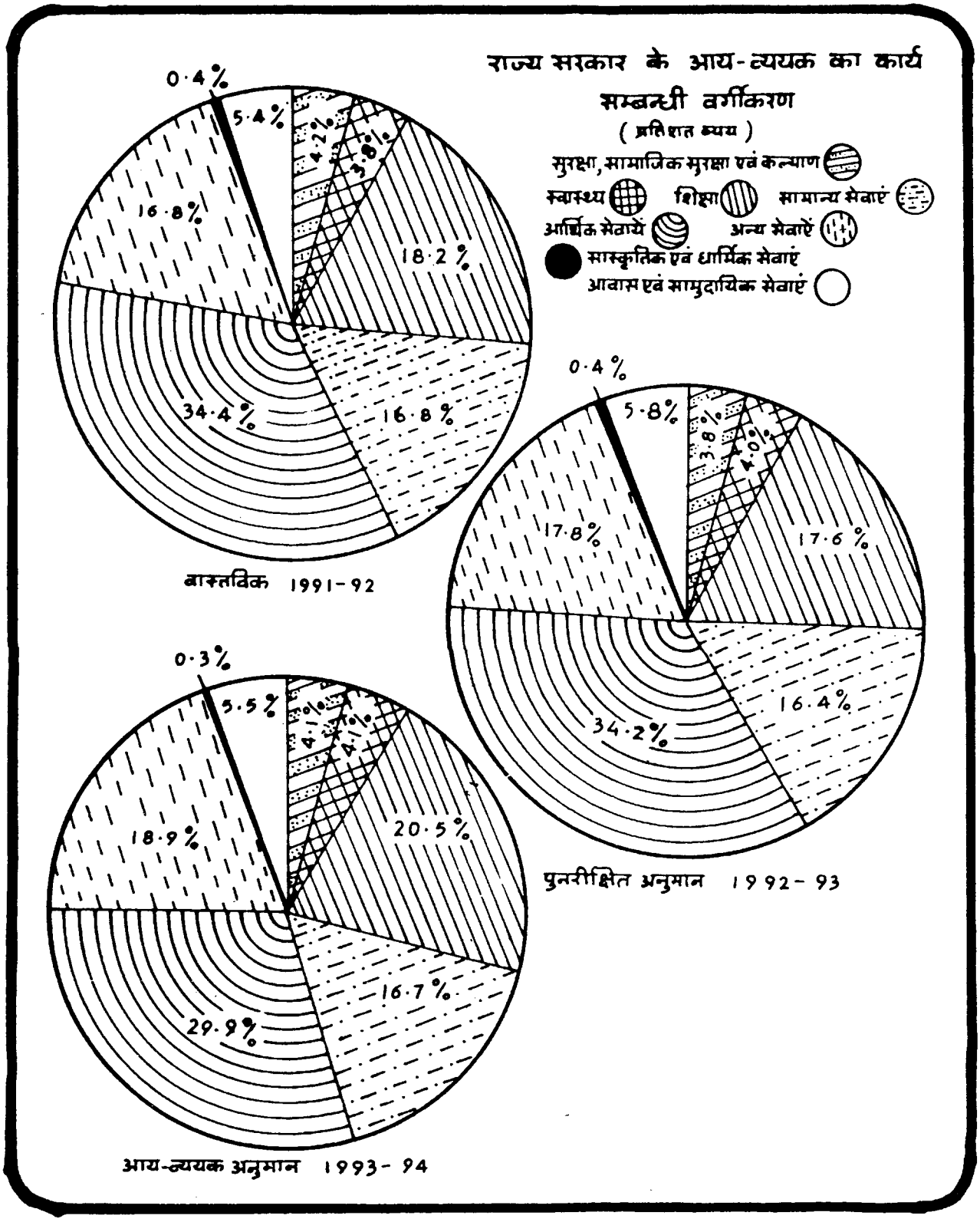
राज्य सरकार के आय-व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण
(प्रतिशत व्यय)
सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
स्वास्थ्य
शिक्षा
सामान्य सेवाएं
आर्थिक सेवायें
अन्य सेवाऐं
सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाएं
आवास एवं सामुदायिक सेवाएं
0·4%
5·4%
4·2%
3·8%
18·2%
16·8%
34·4%
16·8%
वास्तविक 1991-92
0·4%
5·8%
3·8%
4·0%
17·6%
17·8%
34·2%
16·4%
पुनरीक्षित अनुमान 1992-93
0·3%
5·5%
4·1%
4·1%
20·5%
18·9%
29·9%
16·7%
आय-व्ययक अनुमान 1993-94

सारणी—6.7

कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण —प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनुमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–94
1	2	3	4
1—सामान्य सेवाएं	16.8	16.4	16.7
1.1—सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	16.8	16.3	16.6
1.1.1—सामान्य प्रशासन ..	1.8	1.4	1.4
1.1.2—करों की उगाही का व्यय ..	1.5	1.2	1.3
1.1.3—न्याय	0.8	0.8	0.8
1.1.4—कारागार	0.4	0.3	0.3
1.1.5—पुलिस	6.2	6.1	6.7
1.1.6—अन्य सामान्य सेवाएं ..	6.1	6.5	6.1
1.2—सामान्य शोध	0.0	0.1	0.1
2—सुरक्षा	0.3	0.3	0.4
3—शिक्षा	18.2	17.6	20.5
3.1—सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध ..	1.4	0.5	0.5
3.2—स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं	16.8	17.1	20.0
4—स्वास्थ्य	3.8	4.0	4.1
4.1—सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध ..	0.2	0.2	0.2
4.2—अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं	3.6	3.8	3.9
5—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाएं	3.9	3.5	3.7
5.1—समाज कल्याण सेवाएं ..	3.4	3.1	3.3
5.2—समाज सुरक्षा सेवाएं	0.5	0.4	0.4
6—आवास एवं सामुदायिक सेवाएं	5.4	5.8	5.5
7—सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाएं	0.4	0.4	0.3
8—आर्थिक सेवाएं ..	34.4	34.2	29.9
8.1—सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध ..	0.6	0.5	0.5
8.2 कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार ..	13.6	13.8	13.4
8.3—खनिज, उद्योग एवं निर्माण ..	1.9	3.0	1.8
8.4—विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	12.4	10.6	8.7
8.5—परमाणविक ऊर्जा	—	—	—
8.6—परिवहन एवं संचार	5.9	5.4	5.1
8.7—अन्य आर्थिक सेवाएं	0.0	0.9	0.4
9—अन्य सेवाएं	16.8	17.8	18.9
9.1—विपदा सहायता	0.3	0.6	0.3
9.2—अन्य विविध कार्य	16.5	17.2	18.6
कुल योग ..	100.0	100.0	100.0

सारणी—6.8

विकासगत तथा अविकासगत व्यय

व्यय की मदें	(व्यय लाख रुपयों में)			(प्रतिशत वितरण)		
	वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनुमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–94	वास्तविक 1991–92	पुनरीक्षित अनुमान 1992–93	आय-व्ययक अनुमान 1993–94
1	2	3	4	5	6	7
1—विकासगत व्यय	811129	936537	991471	65.5	65.0	63.5
1.1—शिक्षा	225095	254166	320961	18.2	17.6	20.5
1.2—स्वास्थ्य	47181	56925	63354	3.8	4.0	4.1
1.3—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाएं	47683	50299	57288	3.9	3.5	3.7
1.4—आवास एवं सामुदायिक सेवाएं	66945	83011	85753	5.4	5.8	5.5
1.5—सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाएं	5260	6220	5547	0.4	0.4	0.3
1.6—आर्थिक सेवाएं*	418965	485916	458568	33.8	33.7	29.4
2—अविकासगत व्यय	427279	504867	569880	34.5	35.0	36.5
2.1—सामान्य सेवाएं	208229	235847	260979	16.8	16.4	16.7
2.2—सुरक्षा	4513	5115	5819	0.3	0.3	0.4
2.3—आर्थिक सेवाएं	6666	6711	8542	0.6	0.5	0.5
2.4—अन्य सेवाएं** ..	207871	257194	294540	16.8	17.8	18.9
योग ..	1238408	1441404	1561351	100.0	100.0	100.0

*इस शीर्षक के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन एवं विनियम सम्बन्धी व्यय जिनको अविकासगत व्यय के अन्तर्गत दिखाया गया है, सम्मिलित नहीं है। इन व्ययों को अविकासगत व्यय के मद 2.3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

**इस मद के अन्तर्गत दैवी आपदाओं के लिए तथा शरणार्थियों के लिए सहायता, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों की अदायगी तथा अन्य ऋण एवं अग्रिम सम्बन्धी चालू व्यय सम्मिलित है।

अध्याय--7

कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी

1--सामान्य सेवायें--

सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

1.1--सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था--

1.1.1--सामान्य प्रशासन, विधान मण्डल व निर्वाचन--राज्यपाल, मन्त्रि मण्डल एवं उनके कर्मचारी वर्ग, सचिवालय और मुख्यालयों के अधिष्ठानों, जिला प्रशासन, लोक सेवा आयोग, स्थानीय निधि लेखा परीक्षण अधिष्ठान तथा अन्य अधिष्ठानों इत्यादि के पारिश्रमिक तथा भवनों एवं कार्यालयों की सुविधाओं पर व्यय सम्मिलित है।

विधान मण्डल--राज्य के विधान परिषद् के सभापति और उप सभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान मण्डल के सदस्यों पर व्यय सम्मिलित है।

निर्वाचन--चुनाव के व्यय में निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, वार्षिक पुनरीक्षण तथा छपाई, चुनाव कराने आदि के व्यय सम्मिलित हैं।

1.1.2--करों की उगाही पर व्यय--इसके अन्तर्गत वृहत् जोत कर, भू-राजस्व, राज्य आबकारी शुल्क, वाहनों पर कर, बिक्री-कर, विद्युत् शुल्क, उगाही, अन्य कर एवं शुल्क, स्टाम्प निबन्धन फीस की उगाही तथा विभिन्न कर, विभागो के अधिष्ठान तथा भवन सम्बन्धी व्यय सम्मिलित है।

भू-राजस्व के अन्तर्गत भू-अभिलेख, सर्वेक्षण, बन्दोबस्त इत्यादि के व्यय "अन्य सामान्य सेवायें" उप शीर्षक में निहित किये जाने के कारण इस उप वर्ग में नहीं दिखाये गये हैं।

1.1.3--न्याय प्रशासन--न्याय प्रशासन, उच्च न्यायालय, विधि अधिकारी, महा प्रशासन तथा राजन्यासी, दीवानी तथा सत्र न्यायालय, लघुवाद न्यायालय आदि सम्बन्धी व्ययों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता को इस उपवर्ग में प्रकट किया गया है।

1.1.4--कारागार--प्रधान निरीक्षक, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, बाल सुधार विद्यालय, कारागार सम्बन्धी डिपो, केन्द्रीय कारागार, जिला कारागार, अल्प वयस्क कारागार, हवालातों, पुलिस अभिरक्षण तथा कारागारों के भवन निर्माण सम्बन्धी व्यय को इस उपवर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

1.1.5--पुलिस--इसके अन्तर्गत पुलिस के कार्य-कलापों, उदाहरणार्थ पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान विभाग, पुलिस विकास योजनायें, जिला कार्यकारी दल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, ग्राम पुलिस विशेष पुलिस विभाग योजनायें, राज्य अग्निशमन सेवायें तथा इमारतों के निर्माण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित है।

1.1.6--अन्य सामान्य सेवायें--इस उप शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सर्वेक्षण, बन्दोबस्त एवं भू-अभिलेखों, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, लाटरी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री सूचना विभाग, नियोजन विभाग, भूमि बन्धक बैंक, राष्ट्रीय बचत योजना, स्वर्ण नियंत्रण, राज्य आस्थान विभाग, पंचायती और स्थानीय प्रशासन के अधिष्ठान तथा भवन सम्बन्धी व्यय और प्रकीर्ण अंशदान सम्मिलित है। अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन को सभी कार्य वर्गों में वेतन पर व्यय के अनुपात में बाट दिया गया है।

1.2--सामान्य शोध--इसके अन्तर्गत व्यापारिक एवं सामान्य शोध प्रदान करने वाली संस्थाओं एवं संगठनों तथा तत्सम्बन्धी वैज्ञानिक शोध एवं ज्ञान के विकास सम्बन्धी व्यय सम्मिलित है।

2--सुरक्षा

इसके अन्तर्गत सैनिक स्कूल, सिविल डिफेन्स सम्बन्धी व्यय एवं इनसे सम्बन्धित संयंत्रों के क्रय पर व्यय सम्मिलित है।

3--शिक्षा

3.1--सामान्य प्रशासन--विनियम एवं शोध--इसके अन्तर्गत शिक्षा विभाग का प्रशासन, शिक्षा परिषद्, पाठ्य पुस्तक कमीशन तथा सामान्य विनियम एवं कार्य प्रणाली पर व्यय सम्मिलित है।

3.2--स्कूलों विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें--इसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक उच्चतर शिक्षा के विद्यालय, महाविद्यालय विश्वविद्यालय, कृषि एवं मेडिकल कालेज व उनके अस्पताल, पशु चिकित्सा शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों की पढ़ाई की सुविधा एवं प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं, बधिर मूक, एवं अन्धों के लिये विद्यालयों के प्राविधान, छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सहायता एवं शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यों हेतु ऋण एवं अनुदान परिव्यय सम्मिलित है।

4--स्वास्थ्य--

4.1--सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध--इसके अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशन, अस्पताल, डाक्टर, नर्सों आदि के विनियम तथा कार्य प्रणाली, भेवज नियंत्रण व कर्मशाला, जन्म-मृत्यु की रजिस्टी, औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन तथा इससे सम्बन्धित व्यय एवं शोध कार्य के व्यय सम्मिलित है।

4.2--अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें--इस उप शीर्षक में उन सेवाओं का समावेश किया गया है जिनका सम्बन्ध मानव रोगों के निवारण एवं रोकथाम से है। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिष्ठानों, चिकित्सालयों एवं औषधालयों, मस्तिष्क रोग चिकित्सालयों, महामारी की रोकथाम, टीका लगाना, औषधियों और उपकरण तथा उसी प्रकार के अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर व्यय सम्मिलित किये गये हैं। पशु चिकित्सा सम्बन्धी व्यय भी इसी मद में सम्मिलित है।

5--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवायें--

5.1--समाज कल्याण सेवायें--इन मदों के अन्तर्गत समाज एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं रसद, स्वर्णकारों पर व्यय, नशाबन्दी, महिला एवं बाल मंगल योजनायें, विधवा आश्रम, अनाथालय, निर्धन विद्यार्थियों, बाल कल्याण रुजालियों तथा अवेक्षागृहों के लिये अभ्यागत केन्द्र, अन्धों की परिवीक्षा सेवायें, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी व्यय तथा अनुदान, कल्याणकारी समितियों के सहायतार्थ ऋण इस उप वर्ग में सम्मिलित किये गये हैं।

5.2--समाज सुरक्षा सेवायें--इस उप वर्ग में समाज सुरक्षा योजनायें, राज्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता तथा वृद्धावस्था पेंशन सम्मिलित है।

6--आवास एवं सामुदायिक सेवायें--

इस मद के अन्तर्गत आवास सम्बन्धी प्रशासन, विनियम और अनुपोषण सुविधायें तथा तत्सम्बन्धी शोध सहायता एवं व्यय सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत नगर नियोजन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सामुदायिक विकास परियोजनाओं तथा उनसे सम्बन्धित कार्यकलापों की अभिवृद्धि पर व्यय सम्मिलित है। सभी विभागों के आवासीय भवनों पर व्यय इस मद में सम्मिलित है।

आवास निर्माण योजनायें, मलिन बस्तियों की सफाई कार्य, सड़कों के सफाई तथा अन्य स्वच्छता सेवायें तथा कूड़े एवं नल की निकासी, स्वच्छ एवं धुंआ रहित वातावरण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित किया गया है।

7--सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें--

इसके अन्तर्गत आमोद-प्रमोद सम्बन्धी चलचित्र का उत्पादन, उद्यानों, क्रीड़ा स्थलों, व्यायाम शालाओं, खेलकूद, पुस्तकालय, अजायबघर, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, एन० सी० सी० प्रशिक्षण, छात्रवास एवं अन्य आवास स्थान जिनका कार्य चालन वाणिज्यिक तौर पर नहीं किया जाता है तथा अलाभप्रद संस्थायें जो इस प्रकार के कार्यकलाप में संलग्न है, को सहायतार्थ एवं उन पर व्यय सम्मिलित है। धार्मिक सेवायें जैसे मन्दिरों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं पर व्यय एवं सामान्य सहायतार्थ संगठनों को अनुदान सम्बन्धी व्यय भी इस वर्ग में सम्मिलित है।

8--आर्थिक सेवायें--

8.1--सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध--इस उप शीर्षक में आर्थिक विभागों का सामान्य प्रशासन, विनियम तथा वाणिज्यिक पंजीकरण, तकनीकी, अभियन्त्रण, सेवायोजन, मानव शक्ति निदेशालय, श्रम विभाग, माप तथा बाट विनियमन संस्थायें एवं उन समस्त उद्योगों के विनियमन, वृद्धि एवं शोध पर व्यय जो किसी विनिर्दिष्ट वर्ग में नहीं है, सम्मिलित है।

8.2--कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार--इस उप शीर्षक में इन विभागों तथा चकबन्दी का सामान्य प्रशासन, विनियम, शोध आदि पर व्यय सम्मिलित है। चकबन्दी, कृषि सम्बन्धी प्रदर्शन, प्रचार परिव्यय, कृषि भवनों के निर्माण के लिये ऋण एवं अग्रिम पशु एवं मत्स्य पालन के विकास तथा संचय सम्बन्धी व्यय, अभिजनन क्रियायें, रोगाणु व्यय तथा तत्सम्बन्धी व्यय, ऋण अग्रिम एवं अनुदान, दुग्ध सम्पूर्ति योजना के लिये पूंजीगत परिव्यय, भूमि एवं संरक्षण एवं प्रयोग, कृषि, सिंचाई, वन, पशुपालन, मत्स्य एवं वान्यक जीवन के संरक्षण एवं निवेश, बंजर भूमि के कृषिकरण, पौधरोपण वनों के प्रयोग, आग संरक्षण तथा कृषक अनुदान सम्मिलित है।

8.3--खनिज, उद्योग एवं निर्माण कार्य--इसके अन्तर्गत खनिकर्म तथा उद्योगों के निदेशालय, अधीक्षण, शोध विकास, कुटीर उद्योग, खादी एवं हथकरवा उद्योग के व्यय तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अनुदान एवं औद्योगिक विकास के लिये पूंजीगत परिव्यय आदि निहित है।

8.4--विद्युत शक्ति, गैस, वाष्प एवं जल--इसके अन्तर्गत विद्युत् शक्ति, गैस एवं वाष्प का उत्पादन, संचारण, वितरण आदि व्यय तथा राजकीय विद्युत् परिषद् को ऋण एवं अग्रिम तथा जल एकत्रीकरण, शुद्धीकरण, संचारण एवं वितरण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित है।

8.5--परमाणविक ऊर्जा--परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी प्रशासन एवं शोध पर व्यय, परमाणु ऊर्जा आयोग, अन्तरिक्ष अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक संस्थाओ पर व्यय व अनुदान इसमें सम्मिलित है।

8.6--परिवहन तथा संचार--इसके अन्तर्गत सड़कों का सुधार एवं अनुरक्षण, सड़कों के लिये उपयोगिता यन्त्र तथा उपकरण, पूंजी अन्तरण, जल मार्गों सम्बन्धी व्यय, राष्ट्रीय मार्गों, सड़कों तथा जल मार्गों एवं उनके अधिष्ठानों एवं प्रशासन पर व्यय सम्मिलित है, साथ ही जल, थल एवं वायु द्वारा परिवहन एवं संचार सम्बन्धी व्यय, सड़क परिवहन योजनाओं के चालू व्यय, राज्य कर्मचारी को वाहन क्रय हेतु ऋण आदि इसमें सम्मिलित है।

8.7--अन्य आर्थिक सेवायें--इसके अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण बहुधन्धी जल योजनायें, अग्रगामी योजनायें, भण्डारण, निबन्धक सहकारी समितियों के व्यय का समावेश किया गया है।

9--अन्य सेवायें--

9.1--विपदा सहायता--सूखा और बाढ़ सहायता, दैवी आपदाओं के लिये सहायता, शरणार्थी सहायता आदि पर व्यय दिखाये गये हैं।

9.2--अन्य विविध कार्य--वे सेवायें जिनका वर्गीकरण, कार्यात्मक वर्गीकरण के अन्य वर्ग में नहीं किया गया है जैसे प्रोविडेन्ट फण्ड पर व्यय, जमींदारी प्रथा उन्मूलन प्रतिकर, अन्तर्राज्यीय जल विवाद आयोग पर व्यय, भारत सेवक समाज को अनुदान सम्मिलित है। सामान्य ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों की आदायगी, अनिर्दिष्ट अनुदान, अन्य घरेलू सेवाओं का अन्तरण तथा प्रकीर्ण ऋण भी इसके उदाहरण हैं।

परिशिष्ट–1 (अ)

आय व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय

(लाख रुपयों में)

मद	1971–72	1973–74	1978–79	1979–80	1984–85	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(अ) 1––सामान्य सेवायें	9686	13993	19243	23951	58834	102930	137039	171590	208229
1.1––सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था	9674	13979	19229	23949	58477	102526	136581	171080	207644
1.1.1––सामान्य प्रशासन	1695	1992	3062	4592	7858	13201	17499	20848	22212
1.1.2––करों की उगाही का व्यय	814	978	2677	2775	5890	11773	14756	17340	19018
1.1.3––न्याय	479	611	1076	1230	2991	5200	7161	10510	10327
1.1.4––कारागार	309	434	670	705	1526	2361	3073	3258	4568
1.1.5–पुलिस	3138	4811	7584	9509	23876	45728	57519	71296	76126
1.1.6––अन्य सामान्य सेवायें	3239	5153	4160	5138	16336	24263	36573	47828	75393
1.2––सामान्य शोध	12	14	14	2	357	404	458	510	585
2––सुरक्षा	457	284	822	848	1709	3517	4060	5684	4513
3––शिक्षा	9690	13545	31543	34815	77304	148926	206245	231038	225095
3.1––सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	371	2564	1349	2374	3869	5240	6872	6641	17293
3.2–स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संबंधी सुविधायें	9319	10981	30194	32441	73435	143686	199373	224397	207802
4––स्वास्थ्य	3566	3912	7271	7805	18220	30638	38318	48310	47181
4.1––सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	537	103	391	358	412	1703	2172	2682	2092
4.2––अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	3029	3809	6880	7447	17808	28935	36146	45628	45089
5 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवायें	509	3532	3798	2159	16494	23232	39925	42177	47683
6 आवास एवं सामुदायिक सेवायें	1271	3549	8894	7049	29872	52130	38952	65977	66945
7 सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	49	1133	1091	1405	1721	4143	5531	4563	5260
8 आर्थिक सेवायें	29997	36119	84131	102438	208074	286139	300270	425120	425631
8.1 सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	1239	(–) 20	450	4949	2261	1835	2263	5736	6666
8.2––कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	11676	15493	39702	51574	85454	159250	162157	188370	168681
8.3––खनिज, उद्योग एवं निर्माण	1600	2447	7980	6935	23218	18316	24273	26338	23340
8.4––विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	6907	9072	22186	19789	58327	41958	56345	104190	154389
8.5––परमाणविक ऊर्जा	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8.6––परिवहन एवं संचार	5475	5614	12320	14251	34249	55967	50780	78625	72729
8.7––अन्य आर्थिक सेवायें	3100	3513	1493	4940	4565	8813	4452	21861	(–) 174
9––अन्य सेवायें	14475	13597	21738	23023	54650	107879	136412	164124	207871
कुल योग ..	69700	89664	178531	203493	466878	759534	906752	1158583	1238408
(ब) विकासगत व्यय	45070	50671	136278	150722	349424	543373	626978	811449	811129
(स) अविकासगत व्यय	24630	38993	42253	52771	117454	216161	279774	347134	427279

परिशिष्ट–1–(ब)

आय-व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय--प्रतिशत वितरण

मद	1971–72	1973–74	1978–79	1979–80	1984–85	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(अ) 1--सामान्य सेवायें ..	13.9	15.6	10.8	11.8	12.6	13.6	15.1	14.8	16.8
1.1--सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था	13.9	15.6	10.8	11.8	12.5	13.5	15.0	14.8	16.8
1.1.1--सामान्य प्रशासन ..	2.4	2.2	1.7	2.3	1.7	1.7	1.9	1.8	1.8
1.1.2--करों की उगाही का व्यय ..	1.2	1.1	1.5	1.4	1.3	1.6	1.6	1.5	1.5
1.1.3--न्याय ..	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8
1.1.4--कारागार ..	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
1.1.5--पुलिस ..	4.5	5.4	4.3	4.7	5.1	6.0	6.4	6.2	6.2
1.1.6--अन्य सामान्य सेवायें ..	4.7	5.7	2.3	2.5	3.5	3.2	4.0	4.1	6.1
1.2--सामान्य शोध ..	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
2--सुरक्षा ..	0.7	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3
3--शिक्षा ..	13.9	15.1	17.7	17.1	16.5	19.6	22.8	19.9	18.2
3.1--सामान्य प्रशासन, विनियम, एवं शोध ..	0.5	2.9	0.8	1.2	0.8	0.7	0.8	0.6	1.4
3.2--स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संबंधी सुविधायें ..	13.4	12.2	16.9	15.9	15.7	18.9	22.0	19.3	16.8
4--स्वास्थ्य ..	5.1	4.4	4.0	3.8	3.9	4.0	4.2	4.2	3.8
4.1--सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध ..	0.8	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
4.2--अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	4.3	4.3	3.8	3.6	3.8	3.8	4.0	4.0	3.6
5--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवायें ..	0.7	3.9	2.1	1.1	3.5	3.1	4.4	3.6	3.9
6--आवास एवं सामुदायिक सेवायें ..	1.8	4.0	5.0	3.5	6.4	6.9	4.3	5.7	5.4
7--सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें ..	0.1	1.3	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
8--आर्थिक सेवायें ..	43.0	40.3	47.1	50.3	44.6	37.6	33.1	36.7	34.4
8.1--सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	1.8	0.0	0.3	2.4	0.5	0.2	0.2	0.5	0.6
8.2--कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार ..	16.7	17.3	22.2	25.4	18.3	21.0	17.9	16.2	13.6
8.3--खनिज, उद्योग एवं निर्माण ..	2.3	2.7	4.5	3.4	5.0	2.4	2.7	2.3	1.9
8.4--विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी ..	9.9	10.1	12.4	9.7	12.5	5.5	6.2	9.0	12.4
8.5--परमाणविक ऊर्जा ..	..	..	..	..	..	..	.	..	..
8.6--परिवहन एवं संचार	7.8	6.3	6.9	7.0	7.3	7.4	5.6	6.8	5.9
8.7--अन्य आर्थिक सेवायें ..	4.5	3.9	0.8	2.4	1.0	1.1	0.5	1.9	0.0
9--अन्य सेवायें ..	20.8	15.1	12.2	11.3	11.7	14.2	15.0	14.2	16.8
कुल योग ...	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(ब) विकासगत व्यय ..	64.7	56.5	76.3	74.1	74.8	71.5	69.2	70.0	65.5
(स) अविकासगत व्यय ..	35.3	43.5	23.7	25.9	25.2	28.5	30.8	30.0	34.5

पी0एस0यू0पी0--ए0षी0 23 सा0अर्थ एवं संख्या--2-2-94---(3099)--1994-1,500 (मैग0)।